रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 1979/आश्विन 2, 1901

No. 191] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 1979/ASVINA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या 40-आईटी/सीपीएन/79

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1979

विषय :- जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई 1978-79 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आयातों के लिए आयात लाइसेंस जारी करने के लिए नियम तथा शर्तें ।

वित्तिय संख्या आईपीसी/39/18/78.—1978-79 के लिए जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई जापानी अनुदान सहायता येन 2.9 बिलियन (येन 2,900,036,000) के अधीन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आयातों के लिए आयात लाईसेंस जारी करने के लिए शामिल होने वाली नियम तथा शर्तें जो कि परिशिष्ट 1 और 2 में अलग-अलग दी गई है, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं ।

सी० वेंकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 40 आईटीसी पीएन/79 दिनांक 24-9-1979 के लिए परिशिष्ट-1

जापान की सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1978-79 के लिए 2.9 बिलियन (येन 2,900,036,000) के जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें ।

खण्ड 1-सामान्य शर्तें

1(1) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई 2.9 बिलियन जापानी अनुदान सहायता आईसी एक और विकासशील देशों के हक में संगठित की गई है । तदनुसार, इस ऋण के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली पण्य वस्तुएं और उनसे संबंधित प्रासंगिक सेवाएं जापान और अनुबन्ध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं । ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र स्रोत देय होंगे । लेकिन, यदि लाइसेंस के अधीन आयात की गई पण्य वस्तुओं में ऐसे घटक हैं जिनका मूल रूप से उत्पादन आयात स्त्रोत देशों से हुआ है तो संभरण ठेके का समझौता वार्ता करते समय आयातक को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि संभरण ठेके के देश में आयात किए गए ऐसे घटकों का, आयात शुल्क सहित कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य संभरण ठेके के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से 30% से कम है । ऐसे मामले में संभरकों से इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे संभरण ठेके में संलग्न कर देना चाहिए । इस अनुदान सहायता के अधीन जो पात्र मदें आयात की जा सकती है उनकी सूची अनुबन्ध में दी गई है ।

1(2) लाइसेंस पर एक शीर्षक "1978-79 के लिए 2.9 बिलियन जापानी अनुदान सहायता होगा" । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिये लाइसेंस संकेत "एस/जे० एन० होगा" । ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक; आयात-निर्यात के आयात लाइसेंस के अनुरोधित पत्र में भी दुहराये जाएंगे ।

1(3) बैंक खर्च, जिनका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता

के कमीशन के प्रति कार्ट भी भुगतान अधिकर्ता को भारतीय रुपये में भारत में चुकाना चाहिए । लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिये लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे ।

1(4) आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारम्भिक वैध अवधि के साथ जारी किया जाएगा । लाइसेंस की वैधता मे वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग (टी सी एम अनुभाग) से परामर्श करेगा ।

1(5) पक्के आदेश अनुबन्ध-1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों मे स्थित विदेशी संभरकों को लागत-बीमा--भाड़ा के आधार पर या लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (टी सी एम अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए । "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों या क्रय संविदाओं से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् समर्थित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों । विदेशी संभरकों को भारतीय अधिकर्ताओं के आदेश/और या ऐसे भारतीय अधिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकरणीय नहीं है ।

1 (6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाईसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, टी सी एम अनुभाग को नहीं पहुंच जाते है। यदि उपर्युक्त पैरा 1 (5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनो के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणो का उल्लेख करते हुए लाईसेंसधारी को आयात लाईसेंस को सम्बद्ध लाईसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदना पर लाईसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते है। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाईसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाईसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (टी सी एम अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगें जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाईसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको लाईसेंसधारी को प्रेषित करेंगे ।

पोत लदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 30-6-1981 के बाद की न हो।

खण्ड-2 सभरण ठेके का समझोता करते समय ध्यान में रखे जाने वाली विशेष बातें :

2(1) (क) ठेके का मूल्य येन या यू० एस० डालर या पौंड स्टर्लिंग में एक येन एक सेंट या एक पेनी से कम की भिन्न के बिना ही अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नही होना चाहिए जो कि भारतीय रूपए में चुकाना चाहिए। भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यन्त नि.शुल्क लागत, बीमा और भाडा धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की जा सकती है परन्तु ठेके में बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी।

(ख) संविदा में नकद आधार पर अर्थात बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होने चाहिए ।

2(2) मूल्य में 30 करोड़ येन या 15,00,000 यू० एस० डालर या 8,00,000 पौण्ड मूल्य तक (भारतीय अभिकर्ता के कमीशन को छोड़कर) के अलग-अलग आयातों के लिए लाईसेंसधारी संभरको से सीधे ही खरीददारी करने के लिए स्वतन्त्र हैं। उसे अनुबन्ध-1 में सूची बद्ध देशों से अन्तर्राष्ट्रीय निविदा की पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

2(3) लेकिन, जिस मामले में संभरण ठेके के मूल्य उपर्युक्त 2(2)में निर्धारित सीमा से अधिक हो जाते हैं (भारतीय अभिकर्ता के कमीशन को छोड़कर) तो उसमें अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रियाविधियों में से किसी एक का वृहना पूर्वक अनुसरण करना चाहिए :—

(क) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना।

(ख) औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना।

(ग) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति।

2(4) पात्र स्रोत देशों से अन्तर्राष्ट्रीय निविदा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अधिप्राप्ति के किसी भी संदर्भ का अर्थ जैसा भी मामला हो, निविदा अथवा अधिप्राप्ति से होगा। औपचारिक प्रतियोगिक अधिप्राप्ति या प्रत्यक्ष खरीदारी के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि से उन मामलो में छूट दी जा सकती है जिनमें :—

1. पात्र संभरकों की एक विशेष देश में या देशो की सीमित संख्या में विद्यमान हों।

2. पारस्परिक अदल-बदल का या उपस्कर के मानकीरण का सुनिश्चय करने के लिए या डिजाईन की विशेष आवश्यकताओं के कारण एक विशेष विशिष्टिकरण, व्यापार नाम या पदनाम के संदर्भ में पण्य वस्तु की खरीददारी आवश्यक हो।

3. खरीददारिया आपातकालीन अधिप्राप्ति की श्रेणी में आती हों इसलिए, लाईसेंसधारी को सलाह दी जाती है कि जिस मामले उपर्युक्त पैरा 2(3) के (क) और (ख) की क्रियाविधि का सहारा नहीं लिया जा सकता है उसमें आर्थिक कार्य विभाग को संदर्भ भेजना पड़ेगा जो कि ऐसे प्रत्येक मामले पर पात्रता के आधार पर विचार करेगा।

2(5) जिस मामले में औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने की क्रियाविधि का सहारा लिया जाता है उसमें निम्नलिखित बातें ध्यान मे रखनी चाहिए :—

(क) बोली लगाने के लिए नियंत्रण भारत में सामान्य रूप से परिचालित होने वाली कम से कम एक अखबार में विज्ञापित करने पड़ेंगे।

(ख) बोली के बाण्ड या बोली लगाने की गारंटी सामान्य आवश्यकता है परन्तु उनको इतना ऊंचा महत्व नहीं देना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले हतोत्साह हो जाएं।

(ग) बोली खुल जाने के बाद बोलीकारो को यथाशीघ्र बोली बाण्ड या गारंटियां रिहा कर देनी चाहिए ।

2(6) आयात लाईसेंस के साथ केवल एक संविदा प्रविष्ट की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की अनुमति दी जा सकती है जिनके लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से आयात लाईसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन ले लेना चाहिए।

2(7) संभरक की पात्रता :

संभरक पात्र स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत और समाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा।

खण्ड—3

संभरण ठेकों में निम्नलिखित शर्तें विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए :—

3(1) 1978-79 के लिए 2.9 बिलियन के अनुदान सहायता से सम्बद्ध इस संविदा की व्यवस्था 17 मार्च, 1979 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है।

3(2) संभरकों को भुगतान उस "भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र" (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1978-79 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली- 110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

3(3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हों।

3(4) उस मामले में जिसमें संभरक जापान में स्थित हो और भारती दूतावास, टोकियो के परामर्श से पोतलदान की व्यवस्था करने को तैयार है और इसके लिए सम्बन्धित माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम की भारतीय दूतावास टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन लिए 4 मास पहले ही भारतीय दूतावास टोकियो को अधिसूचित करवाएगा जिससे उचित व्यवस्था की जाए। विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक यह चाहता हो तो अधिसूचना की अवधि कम की जा सकती है। आवश्यक ब्यौरे देते हुए प्रत्येक पोतलदान के बाद जापानी संभरक को आयातक को केवल सूचना भेजने के लिए भी सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

3(5) नीचे संकेतिक प्रपत्र (तीन प्रतियों में) में एक प्रमाण-पत्र :— "मैं (हम) एतद्द्वारा यह स्पष्ट करता हूं/करते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी . . . .[पात्र स्रोत देश] में पंजीकृत है और पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत और शामिल हुए न्यायिक व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित है।"

3(6) यदि किसी मामले में ठेका औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने या औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने पर आधारित हो तो निम्नलिखित के सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र भेजना चाहिए :—

(1) उस अखबार का नाम जिसमें बोली का विशिष्टिकरण प्रकाशित किया गया था।

(2) उन पार्टियों का नाम जिन्होंने निविदा पूछताछ के प्रति बातचीत की।

(3) यह निर्दिष्ट करते हुए कि क्या यह क्रियात्मक रूप में निम्नतम उपयुक्त बोली है, एक विशेष बोली (प्रस्ताव) चुनने का कारण।

टिप्पणी :— पण्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति और आपूर्ति संविदा . . . . .का विस्तृत ब्यौरा अनुबन्ध-2 में देखें।

खण्ड 4- भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन :

4(1) पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर लाईसेंस-धारी को दोनों पक्षों और विधियत हस्ताक्षारित ठेके की चार प्रतियां या विदेशी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश और विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में उसके पुष्टिकरण की चार प्रतियां, जो सब प्रकार से पूर्ण हों, सम्बन्धित वैध आयात लाईसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित और अनुबन्ध-3 में संलग्न प्रपत्र "ए/पी जारी करने के लिए आवेदन" उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा में आवश्यक आशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगी। एक आवेदनपत्र (दो प्रतियों में) के साथ साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करते हुए भेजने चाहिएं।

4(2) यदि ठेके के दस्तावेज, "ए/पी" जारी करने के लिए आवेदन-पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, टीसी एम अनुभाग ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के राजदूतावास टोकियो को भेजने की व्यवस्था करेगा।

4(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो के लिए अनुबन्ध-4 के रूप में संभरकों को भुगतान करने के लिए "भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र" (ए/पी) जारी करेगा। ए/पी की प्रतियां भारत के राजदूतावास टोकियो, आयातक, भारत में आयातक के बैंक और टी सी एम अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएंगी।

4(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की प्राप्ति के बाद बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो जापान की सरकार, भारत के राजदूतावास टोकियो, भारत के बैंक के आयातक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा।

4(5) पोतलदान प्रभावी करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो दस्तावेज में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा।

4(6) संभरक के लिए ए/पी जारी करने के लिए और भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक ऑफ इण्डिया टोकियो को देय बैंक खर्च भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही निर्धारित किए जाएंगे।

खण्ड-5—रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व :

5(1) मूल विनिमय पोत परिवहन दस्तावेज साथ ही साथ बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (जो अनुबन्ध-3 के ण में उल्लिखित है) की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनिमय सेट केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही सम्बद्ध आयातक को देने चाहिए कि विदेशी संभरक को चुकाई गई यन धनराशि के बराबर रुपया और उस धनराशि पर विदेशी संभरक को बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक ही की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से हिसाब लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं०-46 आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार सरकारी लेखे में जमा कर दिया गया है। ब्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है, के लिए देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 द्वारा आशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन) 74 दिनांक 31-5-74 भुगतानों की येन धनराशि के बराबर रुपये की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर मुख्य

नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं०-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे हो आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व सम्बद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। लाईसेंसधारी को भी यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने से पहले ही देय धनराशि लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सिज 843 सिविल डिपोजिट्स—डिपाजिट्स फोर परचेजिग एटसेक्ट्रा एब्राड परचेजिज परचेस ग्रांट ऐड फाम गवर्नमेण्ट जापान फॉर 1978-79-(येन 2.9 बिलियन ग्रांट ऐड)

5(2) उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक ग्रॉफ इण्डिया, तीस हजारी दिल्ली में सरकार की साख में नकद जमा होनी चाहिए, या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक ग्रॉफ इंडिया की किसी शाखा या इसके उपसंगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुन्डीकर्ता) से प्राप्त एक हुन्डी (डिमान्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक ग्रॉफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (हुन्डी ग्राहक और प्रापक) की सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई टी सी (पी एन)68, दिनांक 30-8-1968 सं० 233-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं० 132 आई० टी० सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई टी सी (पी एन) 74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई टी सी (पी एन) 76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन प्रेषण करना चाहिए।

5(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कॉलमों को भरते समय आयातकों उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71 के परा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन) 74, दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और, प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए है। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिएं :—

(क) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाते है

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

(घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह गिना गया है

(ङ) जमा की गई कुल धन राशि

(ब्याज की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में समतुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जाती है।)

उसके पश्चात् सी एण्ए द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को सलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी एण्ए को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी :—भारत मे आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप बैंक आफ इंडिया टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोत लदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी एण्ए वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

5(5) भारत मे सम्बद्ध बैंक आफ इंडिया को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड 6 विविध शर्तें

6(1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोत लदानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के संबंध में और जो पोत लदान होने बाकी है उनके विषय मे एक मासिक रिपोर्ट सी एण्ए, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय यू सी ओ. बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली को भेजनी चाहिए

6(2) संभरकों को विशेष शर्तें अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस को उन विशेष शर्तों से संभरक को अवगत करावे जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती है।

6(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठता तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक ग्रॉफ इंडिया टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें साफ साफ "भुगतान के नियम" के अधीन अनुबंध-1 में दर्शाई जानी चाहिए। विवादो से निपटने की शर्तें ठेके की शर्तों मे शामिल होनी चाहिएं।

6(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित जापान से 1978-79 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए निदेशो या अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

6(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

6(6) अनुबंधों की सूची

उपर्युक्त खंडों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबंध—1 पात्र स्त्रोत देशों की सूची

अनुबंध—2 पात्र पण्य वस्तुओं की सूची

अनुबंध—3 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र।

अनुबंध—4 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का प्रपत्र।

अनुबंध—5 माल की आधिप्राप्ति की विस्तृत क्रियाविधि।

अनुबंध—1

(संदर्भ खंड—1 कंडिका 1(5)

पात्र स्त्रोत देशों की सूची

(क) ओ ई सी डी देश

आस्ट्रेलिया
आस्ट्रिया
बेल्जियम
कनाडा
डेनमार्क
फिनलैंड
फ्रांस
जर्मनी संघीय गणराज्य
यूनान
आइसलैंड
इटली
जापान
आयरलैंड
लक्समबर्ग
नीदरलैंड
न्यूजीलैंड
नार्वे
स्वीडन
स्विटजरलैंड
तुर्की
यूनाइटिड किंगडम और संयुक्त राज्य

(ख) विकासशील देश तथा उसके क्षत्र

(ख-1) नान-ओ० पी० ई० सी० विकासशील देश

1 अफ्रीका उत्तरी सहारा
मिश्र
मोरोक्को
तुनीशिया

2 अफ्रीका, दक्षिणी सहारा
अंगोला
बोतसवाना
बरुन्डी
केमेरन
केप वर्डो द्वीप समूह
केन्द्रीय अफ्रीकन गणतन्त्र,
चाद
कमोरो द्वीप समूह
इथोपिया
जाम्बिया
कांगो, डमोह गणराज्य
इक्वेटोरियल गाईना
घाना
गिनी
आइवरी कोस्ट
कीनिया,
लेसोथो
लाइबेरिया
मालागासी गणतन्त्र
मलावी
माली
मारितेनिया
मारीशस
मोजाम्बीक
नाइगारा
पुर्तगाली गिनी
रियुनियन
रोडेशिया
रवान्डा
सट केलिना और डेम (2)
साओटोम और प्रिन्साइद
सेनेगाल
सेजिलिज
सियरा लिओन
सोमालिया
सूडान
स्वाजीलैंड
टेगो आपर्स्म और इस्साम
टोगो
युगान्डा
तजानिया गणतन्त्र संघ
अपर वोल्टा
जाअरे गणतंत्र
जाम्बिया

3 अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय
बेहमस
बारबाडोज
बेलाइज
बरमुडा
कोस्टोरिका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतंत्र
एल साल्वेडोर
गुआडेलोप
ग्वाटेमाला
हेती
होन्डुरस
जेमेका
मार्टिनिक
मैक्सिको
नीदरलैंड एनटिलीज
निकारागुवा
पनामा

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फरनेन्डो पो द्वीप सहित

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित —

असेन्शन, ट्रिस्टन डाइन एक्सेसिबिलिस, नाइटिंगेल गफ

(3) मुख्य द्वीप समूह, अरैबा, बोनाइरे क्युराकाओ साहा, सेन्ट मारटिन
(दक्षिण भाग)
सेन्ट पियरी मिकेलोन
ट्रिनिडाड और टोबोगो
वैस्ट इन्डीज (शाखा) एन० आई० ई०

(क) सम्बन्धित राज्य (1)

(ख) आश्रित (2)

4 दक्षिणी अमरीका
अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलिम्बया
फाल्कलैंड द्वीप समूह
फ्रांसिसी गिनी
गुयाना
पाराग्वे
पीरू
सूरिनाम
उरुग्वे

5 मध्य पूर्वी एशिया
बेहरीन
हज राइल
जोर्डन
लेबनान
ओमन
सिरिआई अरब गणतंत्र
यूनाइटिड अरब इमिरात
यमन अरब गणतंत्र (3)
यमन जनवादी डी० आर (4)

6 दक्षिणी एशिया
अफगानिस्तान
बांगला देश
भूटान
बर्मा
मालद्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्रीलंका

7 सुदूर पूर्वी एशिया
ब्रूनेई
हांगकांग
खमेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैंड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतन्त्र

8. ओसिनिया
कुक द्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)
नौरू
न्यूकोलेडोनिया
न्यूहेब्रिडीस (ब्रि और फ्रे)
नियू
पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापुवा न्यू गिनी
सोलामन द्वीप समूह (ब्रि)
टोंगो
वालिस और फुतुना
पश्चिमी समाओ

9 यूरोप
साइप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
तुर्की
युगोस्लाविया

(ख–2) ओ० पी० ई० सी० के सदस्य या सहयोगी देश
अल्जीरिया
बोलिविया
लीबियाई अरब गणतंत्र
गेबान
नाइजीरिया
इक्वोडोर
वेन्जुएला
ईरान
इराक
कुवैत
कातार
सऊदी अरब
आबु धाबी
इन्डोनेशिया

(1) मुख्य द्वीप एन्टिगुवा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स (सेन्ट क्रिस्टोफी) नेविस अगुइला, सेन्टलुशिया और सेन्ट विसेन्ट ।

(2) मुख्यद्वीप मोन्टेसरत, सेमान, तुर्क और काइकोस और ब्रिटिश वरजिन द्वीप समूह ।

(3) अजमान, दुबई, फुजाइरह, रास अल खैमाह शारजाह और उम अल क्वैवेन ।

(4) अदन और विभिन्न सुलतनत और अमीरत सहित ।

(5) सोसायटी द्वीप (सोहिती सहित) को शामिल करते हुए, आस्ट्रल द्वीप समूह, टुआमोट, जाम्बियर ग्रुप और मार्केसन द्वीप समूह ।

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर) ।

अनुबन्ध—2

पाक्ष पण्य सूची

1 रोल्ज

2 विशेष इस्पात और मिश्रधातु इस्पात सहित इस्पात

3 ट्रक्का और ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लिए संघटक, संयोजक और पुर्जे

4 रसायन

5 भारत-जापान संयुक्त उद्यम के लिए फालतू पुर्जे, संघटक और कच्चा माल

6 बिजली के हलों के लिए सघटक, संयोजन और फालतू पुर्जे।

7. मशीनरी, संघटक, संयोजन, फालतू पुर्जे और कच्चा माल।

8. भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के लिए मशीनरी और उपस्कर।

9 बम्बई हार्बर आफ शोर डिवेलेपमेन्ट प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी और उपस्कर।

10. उर्वरक और ऐसी अन्य मदें जिन पर आपस मे सहमति हो।

अनुबन्ध 3

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये प्रार्थनापत्र संख्या

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू० सी० ग्रो०, बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय :—1978-79 के लिये 2.9 बिलियन जापानी अनुदान सहायता येन के अधीन जापान से आयात ।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन ..... जापान से .... जो कि .... आयात के संबंध में है.. ....संबद्ध सभरक के नाम में बैंक आफ इंडिया, टोकियो के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते है :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके—क्या यह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले मे यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिये कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) संविदा का कुल लागत भाड़ा मूल्य (येन में)

(छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपये में भुगतान की जाने वाली भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि

(ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।

(झ) सभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या और दिनांक

(ञ) संभरक का नाम और पता और पात्र प्रमाण पत्र भी भेजें (दो प्रतियों में)।

(ट) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।

(ठ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि

(ड) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय दिये जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और निपटान का संकेत करें) प्रत्येक सेटो की सं० और उनका निपटान दिखाते हुए।

(ढ) पोतलदान अनुदेश (वाहनान्तरण / पार्ट-शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिये)।

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएँ) कर ली गई है। यदि हां तो ऐसी संविदा की दिनांक और मूल्य।

भवदीय

अनुबंध-4

संख्या

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इण्डिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय :—2.9 बिलियन के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन आयात—भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

1. आपके बैंक के साथ 13-3-79 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा सलग्न ब्यौरे (जो परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं) के अनुसार सर्वश्री .... के नाम में .... येन की धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए०/पी०) की पावती के बारे में ठेकेदार को सूचना दें और प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. आयातक द्वारा आप को यदि कोई हों तो दस्तावेज के लिए अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़ों सहित भाड़े भी सीधे ही आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

5. जैसे ही जापानी सभरकों द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज के आधार पर आप के द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

7 यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ... . तक वैध रहेगा।

भवदीय
लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक .. .. को उनके पत्र संख्या .. .. दिनांक ..... के संदर्भ में।

2. आयातक का बैंक . . . . . उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इण्डिया , टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी सभरकों को येन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करे। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या 8-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76 दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार जापानी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचालित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं० 46 आई० टी० सी० (पी० एन०)/76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा करना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको जापानी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी) यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा-शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जाती है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली-6।

(आदेशित और आदाता) के नाम में और उसको देय दर्शनी हुन्डी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 233 आई० टी० सी० (पी० एन०)/68 दिनांक 24-10-1968, संख्या-132 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 5-10-71 संख्या-74 आईटीसी/पीएन/74 दिनांक 31-5-74 और संख्या-103 आई० टी० सी० (पी० एन०)/76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज -843 सिविल डिपाजिट्स-डिपाजिट्स फार परचेजिस एटसेक्ट्रा एब्राड परचेजिस ग्रान्ट ऐड फ्राम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1978-79 (येन 2.9 बिलियन ऐड)।

जिन मामलों मे तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी मे सार्वजनिक सूचना संख्या -132 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जायेगी :

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
पहली मंजिल, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग
संसद मार्ग, नई दिल्ली।

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुन्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिएं। सभी मामलों मे ब्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की है उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हो तो, बैंक खर्चे और बैंक आफ इंडिया टोकियो ब्रांच के अन्य खर्चे इण्डियन बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो

5. अवर सचिव (टी० सी० एम०) शाखा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली। लेखा अधिकारी।

अनुबन्ध-5

जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत पण्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन।

1 प्रस्तावना

जापान सरकार द्वारा प्रदान की गई 2.9 बिलियन येन की अनुदान सहायता की रकम इस मार्ग दर्शन मे निर्धारित अधिप्राप्ति की क्रियाओं के अनुसार उनकी आनुषंगिक पण्य वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए, पात्र स्रोत देशों के बीच कार्य कुशलता के लिए और बिना किसी भेदभाव के न्यायपूर्वक उपयोग की जाएगी।

2. अधिप्राप्ति क्रियाविधि का चयन

अनुदान सहायता के अन्तर्गत सूचीबद्ध पण्यवस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रियाविधियां लागू होंगी :—

(1) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा देना

(2) औपचारिक चयनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय संविदा देना

(3) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति

(4) सीधी खरीद

(क) सरकार और/या सरकारी अभिकरण द्वारा अधिप्राप्ति के मामले मे औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा या औपचारिक चयनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू होगी।

(ख) गैर-सरकारी अधिप्राप्ति के मामले में उपर्युक्त उल्लिखित कोई भी क्रियाविधि लागू हो सकती है।

(ग) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति या सीधी खरीद के माध्यम से लेकिन इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों मे अधिप्राप्ति को स्वीकार करना सम्भव है।

(1) संविदा की मुद्रा की शर्तों के अनुसार जहां प्रस्तावित संविदा की धनराशि 300,000,000 येन 1,500,000 यू० एस० डालर या 800,000 पौंड स्टालिंग से अधिक नहीं है।

(2) जहां अर्हरक सभरकों की संख्या सीमित है।

(3) जहां अन्तर्बदली या उपकरण के मानकीकरण का सुनिश्चय करने के लिए विशेष विशिष्टियां, ट्रेड नाम या पदनाम के संदर्भ में या विशेष डिजाइन की आवश्यकताओं के कारण पण्य वस्तु की खरीद करनी है।

(4) जहां या तो क्रियाविधि अथवा क्रियाविधि (2) या उपर्युक्त (1), (2) और (3) से भिन्न किसी कारण से (उदाहरणार्थ आपात कालीन अधिप्राप्ति) क्रियाविधि के लिए लागू नहीं समझा जाएगा।

(घ) उपर्युक्त उल्लिखित किसी भी मामले में आयातक इस खंड के 1—3 में निर्धारित अधिप्राप्ति क्रियाविधि के अनुसार अधिप्राप्ति की पात्रता से सम्बन्धित कर्जदार की पुष्टि प्राप्त करेगा।

3. संविदा की शर्तें :—

इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत वित्तयुक्त किए जाने वाली कोई भी संविदा निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी।

1. पण्यवस्तुओं की शर्तें

चूंकि इस अनुदान सहायता का उपयोग पात्र स्रोत देशों में उत्पादित सूचीबद्ध पण्यवस्तुओं के लिए खर्चों का वित्तदान करने के लिए सीमित है इसलिए संविदा विषयक मद पात्र स्रोत देशों मे उत्पादित सूचीबद्ध पण्य-वस्तुएं होंगी और पात्र स्रोत देशों में भारतीय पत्तन को भेज दी जाएगी यदि पात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित फार्मूले से तीस

प्रतिशत (30 प्रतिशत) कम है तो सूचीबद्ध पण्यवस्तुएं वित्तदान की जाएगी भले ही वे संविदा की मदों में सूचीबद्ध पण्यवस्तुओं के अंश के रूप में गैर पात्र स्रोत देशों से आयातित भाग के रूप में शामिल की गई हो। ऊपर उल्लिखित फार्मूला :—

$$\frac{\text{आयातित कीमत + आयात शुल्क}}{\text{संभरक की जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत}} \times 100$$

2 संभरक की शर्तें

संभरक पात्र स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा, या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत न्यायिक व्यक्ति होगा ।

3 आयातक की शर्तें

सशस्त्र सेना या उससे मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थाओं द्वारा किन्हीं भी पण्यवस्तुओं की अधिप्राप्ति ऋण के अन्तर्गत पात्र होगी ।

4. मुद्रा का मूल्य वर्ग

संविदा क्रमशः एक येन (वाई 1 00), एक सेन्ट (सी० 1 00) या एक पैनी (पी० 1 00) से कम किसी भिन्न के बिना ही जापानी येन, यूनाइटेड स्टेट डालर या स्टर्लिंग पौण्ड में निर्धारित की जायेगी और देय होगी

5 संविदा का मानक प्रपत्र

(क) इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत वित्तदान की जाने वाली संविदा में निम्नलिखित शर्तें शामिल की जायेंगी :—

(1) संभरक और आयातक का नाम और राष्ट्रिकता
(2) संविदा की संख्या और दिनांक
(3) पण्यवस्तुओं का नाम और मूल स्थान
(4) संविदा का मूल मूल्य और मात्रा
(5) अदायगी की शर्तें
(6) भुगतान और पोतलदान अनुसूची
(7) अन्य सामान्य विनियमन

(ख) दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा या विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप से पुष्टि आदेश द्वारा समर्थित विदेशी संभरक को भारतीय आयातक द्वारा दिये गये विक्रय आदेश, या उनकी फोटो प्रतियां भी स्वीकार्य हैं।

(ग) पात्रता की निम्नलिखित विवरण संभरक द्वारा प्रत्येक संविदा में शामिल किया जायेगा ।

"मैं (हम) एतद्द्वारा उल्लेख करता हूं/करते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी .... (पात्र स्रोत देश) में पंजीकृत है"।

(6) भुगतान

प्रत्येक भुगतान अनुदान सहायता पर हस्ताक्षर करने की तारीख अर्थात् 17 मार्च, 1979 को या बाद में किया जायेगा। सिद्धांत के रूप में, संभरक को पोतलदान की पूरी धनराशि संबंधित पोत परिवहन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के प्रत्येक समय बैंक ड्राफ्ट हुंडिया, टोकियो नकदी के रूप में अदा की जाएगी।

4. अन्तर्राष्ट्रीय संविदा का टेंडर देना

जब अन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू की जाये तब अन्य नियमों के साथ निम्नलिखित नियमों के अनुसार अधिप्राप्ति की जायेगी :—

(1) विज्ञापन देकर

औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदाकरण के अधीन सभी संविदाओं में बोली मांगने के लिये भारत में सामान्यतः रूप से प्रकाशित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में निविदा की जायेगी।

(2) बोलियों के मांगने और उन्हें प्रस्तुत करने के बीच के समय का अन्तराल ।

बोली तैयार करने के लिये अनुमति समय बहुत बड़ी सीमा तक संविदा के महत्व और पेचीदगी के ऊपर निर्भर करेगा। सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिये कम से कम 30 दिनों स्वीकृत किये जाने चाहिएं। किन्तु, अनुमति समय प्रत्येक संविदा से संबंधित हालतों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिये ।

(3) बोली खोलने की क्रियाविधि

बोलियों की अन्तिम पावती के लिये और बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान की बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहिएं और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहियें। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिये । यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिये और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिये।

(4) बोली बाण्ड अथवा गारंटियां ।

बोली करने के मामले में, बोली बाण्ड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं, किन्तु इतने ऊंचे स्तर पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिये जिससे उपयुक्त बोलीकार निरुत्साहित हो जाये ।

बोली बाण्ड या गारंटियां बोली खुल जाने के बाद यथाशीघ्र असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहियें ।

(5) मापदण्ड

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है, जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिये कि जापान औद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किये गये अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली पण्यवस्तुएं जो मापदण्डों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चिय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया जायेगा ।

(6) ब्राण्ड नामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतु पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाये रखने के लिये मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिये और उन्हें एक केवल ब्राण्ड नाम, सूची सं० या विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिये। बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पी पण्यवस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिये जिनकी विशेषता मिलती जुलती है और कम से कम उन विशिष्टिकृत के बराबर निष्पादन और गुण उनमें है।

(7) गारंटी और निष्पादन बाण्ड

यदि आवश्यक हो तो बोली संबंधी दस्तावेजों में गारंटी के लिए जमानत के रूप में कोई प्रपत्र होना चाहिये। यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा या निष्पादन बाण्ड द्वारा दी जा सकती है।

(8) निर्धारित क्षति

यदि आवश्यक हो तो जब कभी सुपुर्दगी में फालतू खर्च होता हो, राजस्व को हानि हो या आयातक के लिये अन्य लाभ की हानि हो तो बोली संबंधी दस्तावेजों में निर्धारित क्षति वाक्यांश जोड़े जाने चाहियें।

9. विवश स्थितियां (फोर्स मैज्यूर)

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस सम्बन्ध में व्याख्या होनी चाहिएं कि संविदा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उस हालत में एक चूक नहीं माना जायेगा यदि ऐसी चूक विवश स्थितियों (फोर्स मैज्यूर) के फलस्वरूप हुई है" संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जानी है।

(10) झगड़ों का निपटान

झगड़ों के निपटान से संबंधित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहियें । यह वांछनीय है कि व्यवस्थायें अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य संगठन द्वारा बनाये गये "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों" या भारतीय एवं समुद्रपार के संभरक दोनों को स्वीकार्य होने वाली व्यवस्थाओं पर आधारित होने चाहिएं ।

(11) मूल्यांकन

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना संख्या 49 आईटीसी (पीएन)/79, दिनांक 24-9-1979 का परिशिष्ट 2 ।

जापान सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1978-79 के लिए 2.9 बिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के आयातों के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें

खण्ड 1—सामान्य शर्तें

1.(1) जापान सरकार द्वारा प्रदान किए गए 2.9 बिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता सीईसीडी और विकासशील देशों के लिए बन्धनमुक्त है । तदनुसार, इस अनुदान सहायता के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली पण्य वस्तुएं और उनसे सम्बन्धित प्रासंगिक सेवाएं जापान और अनुबन्ध 1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती है। ये देश इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत पात्र स्रोत देश होंगे। लेकिन, यदि लाइसेंस के अधीन आयात की गई पण्य वस्तुओं में ऐसे घटक है जिनका मूल रूप से उत्पादन आयात स्रोत देश या देशों में हुआ है तो संभरण ठेके की समझौता वार्ता करते समय आयातक को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि संभरण ठेके के देश के आयात किए गए ऐसे घटकों का आयात शुल्क सहित कुल लागत बीमा, भाड़ा मूल्य संभरण ठेके के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से 30 प्रतिशत से कम है। ऐसे मामले में संभरकों से इस सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे संभरण ठेके में संलग्न कर देना चाहिए। इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत आयात की जाने वाली पात्र पण्य वस्तुओं की सूची अनुबन्ध 2 में दी गई है।

1. (2) लाइसेंस पर एक वर्षीय 1978-79 के लिए 2.9 बिलियन येन जापानी अनुदान सहायता होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस कोड "एस/जेएन" होगा। ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के आयात लाइसेंस के अग्रप्रेषण पत्र में भी दुहराएं जाएंगे।

1. (3) वे बैंक खर्चे जिनका परेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अभिकर्ता को भारतीय रुपए में भारत में चुकाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होने और इसलिए, लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

1. (4) आयात लाइसेंस लागत-बीमा भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारम्भिक वैध अवधि के साथ जारी किया जायेगा। लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को सम्बद्धता लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए जो इस मामले में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (टीसीएम अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1 (5) पक्के आदेश अनुबन्ध 1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत बीमा-भाड़ा के आधार पर या लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (टीसीएम अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए। 'पक्के आदेश" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस धारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों या क्रय संविदाओं से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् समर्थित हो या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् समर्थित हो। विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश और/या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1 (6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जबकि कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (टीसीएम अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीने के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाभेसधारी को आयात लाइसेंस की सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (टीसीएम अनुभाग), नार्थ ब्लाक, न दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी को परेषित करेंगे।

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 30-6-1981 के बाद की न हो।

खण्ड 2—संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष शर्तें

2 (क) ठेके का मूल्य येन या यू०एस० डालर या पौंड स्टर्लिंग में एक येन, एक सेन्ट या एक पैनी से कम की भिन्न के बिना ही अभिव्यक्त होना चाहिए, और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत, बीमा और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की जा सकती है परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किये गये भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी।

(ख) संविदा में नकद भुगतान की व्यवस्था हो नी चाहिए अर्थात् आपनी संभरकों द्वारा बैंक आफ इण्डिया, टोकियो के पोतलदान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर।

(ग) क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी प्रस्तुत में होने चाहिए।

2 (2) मूल्य में 30 करोड़ येन या 15,00,000 यू०एस० डालर या 8,00,000 पौंड मूल्य तक (भारतीय अभिकर्ता के कमीशन को छोड़ कर) के अलग-अलग आयातों के लिए लाइसेंसधारी संभरकों से सीधे ही खरीददारी करने के लिए स्वतंत्र है उसे अनुबन्ध 1 में सूचीबद्ध देशों से अन्तर्राष्ट्रीय निविदा की पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

2 (3) लेकिन, जिस मामले में सम्भरण ठेके के मूल्य उपर्युक्त-2(2) में निर्धारित सीमा से अधिक हो जाते हैं (भारतीय अभिकर्ता के कमीशन को छोड़कर) तो उसमें अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रियाविधियों में से किसी एक का दृढ़तापूर्वक अनुसरण करना चाहिए

(क) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना।

(ख) औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना।

(ग) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति।

2. (4) पात्र स्रोत देशों से अन्तर्राष्ट्रीय निविदा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अधिप्राप्ति के किसी भी सन्दर्भ का अर्थ जैसा भी मामला हो, निविदा अथवा अधिप्राप्ति से होगा। औपचारिक प्रतियोगिक अधिप्राप्ति या प्रत्यक्ष खरीददार खरीददारी के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि से उन मामलों में छूट दी जा सकती है जिनमें —

(1) पात्र सम्भरकों की एक संख्या एक विशेष देश में या देशों की सीमित संख्या में विद्यमान हो।

(2) पारस्परिक अदल-बदल का या उपस्कर के मानकीकरण का सुनिश्चय करने के लिए या डिजाइन की विशेष आवश्यकताओं के कारण एक विशेष विशिष्टिकरण, व्यापार नाम या पदनाम के सन्दर्भ में पण्य वस्तु की खरीददारी आवश्यक हो।

(3) खरीददारियां आपातकालीन अधिप्राप्ति की श्रेणी में आती हो इसलिए, लाइसेंसधारी को सलाह दी जाती है कि जिस मामले में उपर्युक्त पैरा 2(3) के (क) और (ख) की क्रियाविधी का सहारा नहीं लिया जा सकता है उसमें आर्थिक कार्य विभाग को संदर्भ भेजना पड़ेगा जो कि ऐसे प्रत्येक मामले पर पात्रता के आधार पर विचार करेगा।

2 (5) जिस मामले में औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने की क्रियाविधि का सहारा लिया जाता है उसमें निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए —

(क) बोली लगाने के लिए निमंत्रण भारत में सामान्य रूप से परिचालित होने वाले कम से कम एक अखबार में विज्ञपित करने पड़ेंगे।

(ख) बोली के बाण्ड या बोली लगाने की गारण्टी सामान्य आवश्यकता है परन्तु उनको इतना ऊंचा महत्व नहीं देना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले, हतोत्साह हो जाए।

(ग) बोली खुल जाने के बाद बोलीकारों का यथाशीघ्र बोली बाण्ड या गारंटियां रिहा कर देनी चाहिए।

2 (6) आयात लाइसेंस के सम्पूर्ण मूल्य के लिए केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए। लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2 (7) सम्भरक की पात्रता

सम्भरक पात्र स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा या पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा पक्के रूप से नियमित न्यायिक व्यक्ति होगा।

भाग 3-सम्भरण ठेकों में निम्नलिखित शर्तें विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए

3(1) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और 1978-79 के लिए 29 बिलियन येन जापान अनुदान सहायता से सम्बन्धित 17 मार्च 1979 को हुए समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन होगी।

3(2) सम्भरकों को भुगतान "भुगतान के लिए प्राधिकरण" के माध्यम से होगा जो कि 1978-79 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत बैंक आफ इण्डिया टोकियो के नाम से सहायता लेखा एवं लेखाकार नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०के० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

3(3) विदेशी सम्भरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार और दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित होगी।

3(4) जिस मामले में सम्भरक जापान में स्थित हो और वे भारत के दूतावास टोकियो से परामर्श करके पोतलदान की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो और यह कि इस उद्देश्य के लिए वे भारत के दूतावास टोकियो को माल की सुपुर्दगी के विषय में सूचित करेंगे और इस प्रकार अपेक्षित पोतलदान से कम से कम चार सप्ताह पहले भारत के दूतावास को यह सूचना देंगे ताकि उचित व्यवस्था की जा सके। अपवादस्वरूप मामलों में जहां आयातक का अत्यावश्यकता हो नोटिस की यह अवधि घटाई जा सकती है। जापानी सम्भरक को आवश्यक ब्यौरा देते हुए प्रत्येक पोतलदान के बाद आयातक को एक केबल सूचना भेजने के लिए भी सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रतिलिपि भारत के दूतावास टोकियो को भेजनी चाहिए।

3 (5) नीचे संकेतित प्रपत्र में एक प्रमाणपत्र —

"मैं (हम) एतद्द्वारा यह स्पष्ट करता हूं/करते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी . (पात्र स्रोत देश) में पंजीकृत है और पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है अथवा पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत और समाविष्ट किए गए न्यायिक व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित है।"

खण्ड 4—माल की अधिप्राप्ति के लिए और सम्भरण ठेके को पूर्ण रखने के लिए विस्तृत क्रियाविधि अनुबन्ध 5 में निर्दिष्ट की गई है

खण्ड-5—भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन

5 (1) पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर लाइसेंसधारी का दोनों पक्षों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या विदेशी सम्भरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश और विदेशी सम्भरक द्वारा लिखित रूप में उसके पुष्टिकरण की चार प्रतियां, अनुबन्ध 3 में संलग्न प्रपत्र में एक आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) के साथ भी स्टाम्प समाहर्ता द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम के खण्ड 31 के अन्तर्गत विधिवत निर्णीत अनुबन्ध 6 में यथा निर्धारित प्रपत्र में एक बैंक गारंटी के साथ, अवर सचिव (टीसीएम अनुभाग) आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करते हुए भेजने चाहिए।

यदि किसी मामले में ठेका औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने या औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने पर आधारित हो तो निम्नलिखित के सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र दो प्रतियों में भेजना चाहिए :—

(1) उस अखबार का नाम जिसमें बोली का विशिष्टिकरण प्रकाशित किया गया था।

(2) उन पार्टियों का नाम जिन्होंने निविदा पूछताछ के प्रति बातचीत की।

(3) यह निर्दिष्ट करते हुए कि क्या यह क्रियात्मक रूप से निम्नतम उपयुक्त बोली है, एक विशेष बोली (प्रस्ताव) चुनने का कारण।

5(2) बैंक गारन्टी—वह धनराशि जिसके लिए यह निष्पादित की जानी चाहिए।

बैंक गारन्टी येन धनराशि के तुल्य रुपये प्रदर्शित करते हुए उस धनराशि के लिए होनी चाहिए जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकरण-पत्र मांगा गया है और इसमें अनुबन्ध-6 में यथा उल्लिखित ब्याज तथा अन्य खर्च भी शामिल होने चाहिए। परिवर्तन की दर राजस्व तथा बैंक विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा अधिसूचित की गई सार्वजनिक सूचना संख्या-7 आई टी (पीएन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय की दर पर होगी। यह दर केवल लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारन्टी की मूल्य की गणना करने के उद्देश्य के लिए है। आयातों की लागत के लिए सरकारी लेखों मे रुपया जमा करने के उद्देश्य के लिए तुल्य रुपये की गणना नीचे खण्ड-7 मे निर्दिष्ट तरीके से करनी होगी।

5(3) यदि ठेके के दस्तावेज भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदनपत्र बैंक गारन्टी और अन्य सम्बन्धित दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, टीसीएम अनुभाग ठेके का अनुमोदन करेगा और दस्तावेजों का एक सैट नियन्त्रक सहायता लेखा व लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ बिल्डिंग, पहली मंजिल, संसद मार्ग नई दिल्ली और भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजेगा।

खण्ड–6–सनुद्रपार सभरकों को भुगता–भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र

6 (1) उपर्युक्त खंड-5(3) मे उल्लिखित दस्तावेजों के प्राप्त होने पर सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, यूसीओ बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 जापानी सभरकों को भुगतान करने के लिए अनुबन्ध-3 में दिए गए प्रपत्र में बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र (ए/पी)" जारी करेगा। ए/पी की प्रतियां भारतीय दूतावास, टोकियो आयातक, भारत मे आयातक का बैंक और टीसीएम अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित करेगा।

6(2) भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र (ए/पी) प्राप्त होने पर बैंक आफ इण्डिया, टोकियो इस पावती की सूचना जापान सरकार, भारतीय दूतावास, टोकियो भारत मे आयातक का बैंक और सीएएस और ए को सूचना देते हुए सभरक को भी सूचना देगा। और भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजने का प्रबन्ध करेगा।

6(3) माल का पोत लदान करने के बाद विदेशी सभरक अपने बैंकरों के माध्यम से प्राधिकरण पत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इण्डिया टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी सभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगी।

6(4) प्राधिकरण पत्र में परामर्श के लिए और सभरक का भुगतान की व्यवस्था के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को चुकाए जाने वाले बैंक खर्च भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही चुकाए जाएंगे।

खण्ड–7–रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व

7(1) मूल विनिमय पोत परिवहन दस्तावेज साथ ही साथ बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भारत मे आयातक के सम्बद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया की एक शाखा होगी अथवा अनुबन्ध-3 में (ओ) उल्लिखित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा होगी। उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनिमय सेट केवल इस बात को सुनिश्चय कर लेने के बाद ही लाइसेंसधारी को देने चाहिए कि जापानी सभरक को चुकाई गई येन धनराशि के बराबर रुपया और उस धनराशि पर विदेशी सभरक को बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक हो की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगा कर ब्याज सार्वजनिक सूचना संख्या-46 आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार सरकारी लेखे में जमा कर दिया गया है। ब्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिस दिन विदेशी सभरक को भुगतान किया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है के लिए देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना संख्या-103 आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12 10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक संख्या-74 आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 भुगतानों की येन /यू०एस० डालर/ पौंड स्टर्लिंग धनराशि के बराबर रुपए की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना संख्या-8 आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 मे निर्धारित मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा, अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का सुनिश्चय करने का सम्बद्ध भारतीय बैंक का उत्तरदायित्व होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने से पहले ही देय धनराशि लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए, वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सिज 843 सिविल डिपोजिटस–डिपोजिट्स फार परचेजिंग एक्सट्रा एक्वान्ड परचेजिंग ग्रान्ट एण्ड फ्रोम गवर्नमेंट आफ जापान फार 1978-79 (येन 2 9 बिलियन ग्रान्ट एड) होगा।

7(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली, में सरकार की साख मे नकद जमा होनी चाहिए, या यदि यह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इसके उपसंगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुण्डीकर्ता) से प्राप्त एक ड्राफ्ट (डिमाण्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी शाखा दिल्ली-6 (हुण्डी ग्राहक और प्राप्तक) का सार्वजनिक सूचना संख्या 184 आई टीसी (पीएन)/68 दिनांक 308 1968, संख्या 233 आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 24-10-1968, संख्या-132 आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-71, संख्या 74-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31.5-1974 और संख्या-103 आई टीसी (पीएन)/76, दिनांक 12 10-76 मे यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन परेषण करना चाहिए।

7(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के नियमित भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना संख्या-103 आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 13-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना संख्या 132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-1971 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना-74 आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31 5-74 मे भी निर्धारित सूचना चालान के कालम" धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" मे निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे में निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए —

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र (भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र) संख्या और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाते हैं।

(ग) विदेशी सभरक का भुगतान करने की तिथि

(घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह गिना गया है।

(ङ) जमा की गई गई कुल धनराशि

(जापानी सभरक को भुगतान की तिथि से ब्याज की गणना की जानी है और इसमें सरकारी लेखे में रुपया जमा करने की तारीख भी शामिल है।)

उसके पश्चात् सी०ए०ए०ए० द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेज को संलग्न करते खजाना चलान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी०ए०ए०ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी :--भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोत लदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरापवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि उसके तत्काल बाद सी०ए०ए०ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

7(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित 'एस प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ बम्बई को भेजना चाहिए।

7(5) बैंक गारन्टी और वित्त मंत्रालय सी०ए०ए०ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकारपत्र के अनुसार आभारों को पूर्ण करने के बाद भारतीय सम्बद्ध बैंक, बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए सी०ए०ए०ए० से आवेदन कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए आवेदनपत्र अनुबन्ध-7 में दिए गए प्रपत्र में दिया जाना चाहिए।

खण्ड--8 विविध शर्तें

8 (1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट

संविपत्र खोल जाने के बाद आयातक को पोत लदानों और उसके अधीन किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में और जो पोतलदान होने बाकी हैं उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी०ए०ए०ए० को भेजनी चाहिए।

8(2) सभरकों की विशेष शर्तें अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस की उन विशेष शर्तों से सभरक को अवगत कराये जो समझौते का पालन करने में सभरकों पर प्रभाव डाल सकती है।

8(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और सभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इण्डिया टोकियो द्वारा भुगतान से पूर्व सभरकों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें भुगतान की शर्तों के अधीन अनुबन्ध-1 में आयातकों द्वारा साफ-साफ बता देनी चाहिए। विवादों से निपटने की शर्तें ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिए।

8 (4) विविध अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित या जापान से 1978-79 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

8 (5) अतिक्रमण या उल्लंघन :

उपर्युक्त खण्डों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

8(6) अनुबन्धों की सूची :

अनुबन्ध-1 पात्र स्रोत देशों की सूची

अनुबन्ध-2 पात्र पण्य वस्तुओं की सूची

अनुबन्ध-3 भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए आवेदन

अनुबन्ध-4 भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र का प्रारूप

अनुबन्ध-5 अधिप्राप्ति के लिए विस्तृत क्रियाविधि

अनुबन्ध-6 गारन्टी बाण्ड

अनुबन्ध-7 बैंक गारन्टी रिहा करने के लिए आवेदनपत्र का प्रारूप

अनुबन्ध --1

(सदर्भ खंड--1 कंडिका--1 (5))

पात्र स्रोत देशों की सूची

क-ओ०ई०सी०डी० देश

आस्ट्रेलिया

आस्ट्रिया

बेल्जियम

कनाडा

डेनमार्क

फिनलैंड

फ्रांस

जर्मनी संघीय गणराज्य

यूनान

आइसलैण्ड

आयरलैण्ड

इटली

जापान

लक्समबर्ग

नीदरलैण्ड

न्यूजीलैंड

नार्वे

स्वीडन

स्विटजरलैण्ड

तुर्की

यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य

(ख) विकासशील देश और सीमांत

(ख-1) नान-ओ०पी०ई०सी० विकास शील देश

1 अफ्रीका, उत्तरी सहारा

मिस्र

मोराको

ट्यूनीशिया

2 अफ्रीका, दक्षिणी सहारा

अंगोला

बोत्स्वाना

बुरुन्डी

कैमेरुन
कैप वर्डी द्वीप समूह
केन्द्रीय अफ्रीका गणराज्य (1)
चाद
कमोरो द्वीप समूह
कांगो दाहोमे गणराज्य (1)
भूमध्यवर्ती गिनी
इथोपिया
गाम्बिया
घाना
गिनी
आइवरी कोस्ट
कीनिया
लेसोथो
लाइबेरिया
माल्गासी गणतन्त्र
मलावी
माली
मारिटेनिया
मारिशस
मुजम्बीक
नाइजर
पुर्तगाली गिनी
रियूनियन
रोडेशिया
रवान्डा
सेंट हेलिना और डेप (2)
साओटोम और प्रिन्साइप
सेनेगल
सेनिलिज
सियरालियोन
सोमालिया
सूडान
स्वाजीलैंड
टैरा आफर्स और इस्सास
टोगो
यूगान्डा
तंजानिया गणतन्त्र संघ
अपर वोल्टा
जाइरे गणतन्त्र
जाम्बिया

3. अफ्रीका, उत्तरी और केन्द्रीय
बेहमस
बारबाडोज
बेलाइज
बरमुडा
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतन्त्र
एल साल्वेडोर
गुआडेलोप
ग्वाटेमाला
हैती
होन्डुरस
जमैका
मार्टिनिक
मैक्सिको
नीदरलैण्ड्स एंटिलीज
निकारागुवा
पनामा
सेन्ट पियरी और मिकेलोन
ट्रिनिडाड और टोबागो
वैस्ट इण्डी (शाखा) एन०आई०ई०
(क) सम्बन्धित राज्य (1)
(ख) आश्रित राज्य (2)

4 दक्षिणी अमरीका :
अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फाकलैंड द्वीप समूह
फ्रांसिसी गिनी
गुयाना
पाराग्वे
पीरू
सूरिनाम
उरुग्वे

5 मध्य पूर्वी एशिया :
बेहरीन
इजराइल
जोर्डन
लेबनान
ओमन
सिरियाई अरब गणतन्त्र
यूनाइटेड अरब अमिरात (3)
यमन अरब गणतन्त्र
यमन जनवादी डी० आर० (4)

6 दक्षिणी एशिया
अफगानिस्तान
बांगला देश
भूटान
बर्मा
मालदिव
नेपाल
पाकिस्तान
श्रीलंका

(1) पहले स्पैनी गिनी का प्रदेश, फरनेन्डो पो० द्वीप सहित
(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित असेन्शन, ट्रिस्टन डा कुन एक्सेसिबिलिस, नाइटिन्गेल गफ
(3) मुख्य द्वीप समूह, अरुबा, बोनायरे, क्युराकाओ, साबा, सैन्ट, इस्टेसिट, सैन्ट, मारटिन (दक्षिणी भाग)

(1) मुख्य द्वीप एन्टिगुआ, डोमिनिका, ग्रेनेड, सेन्टकिट्स (सेन्टक्रिस्टोफी) नेविस अंगूइला, सेन्टलुसिया और सेन्ट विसेन्ट।
(2) मुख्य द्वीप मोन्सेरट, केमान, तुर्क और काइकस और ब्रिटिश वरजिन द्वीप समूह।
(3) अजमान, दुबाल, फुजाइराह, रास अल खीमाह शारजाह और उमअल क्वैन।
(4) अदन और विभिन्न सल्तनत और अमीरात सहित।

7 सुदूर पूर्वी एशिया
   ब्रूनी
   हांगकांग
   ख्मेर गणतन्त्र
   कोरिया गणतन्त्र
   लाओस
   मकाओ
   मलेशिया
   फिलिपाइन
   सिंगापुर
   ताइवान
   थाइलैण्ड
   तिमौर
   वियतनाम गणतन्त्र
   वियतनाम जनवादी गणतन्त्र
8 ओसिनिया
   कुकद्वीप समूह
   फिजी
   गिल्बर्ट और इ ताइस द्वीप
   फ्रांसिसी पालिनेशिया (5)
   नोरु
   न्यूकालेडोनिया
   न्यू हेब्रिडेस (ब्रि आ फ्रे)
   हियु
   पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
   पापुआ न्यू गिनी
   सोलोमन द्वीप समूह (ब्रि)
   टोंगो
   वालिस और फुतुना
   पश्चिमी समोआ
9. योरूप
   साइप्रस
   जिब्राल्टर
   ग्रीक
   माल्टा एस
   स्पेन
   टर्की
   यूगोस्लाविया
(ख 2) ओ० पी०ई०सी० के सदस्य या सबंधित देश
   अल्जीरिया
   बोलिविया
   सिंयुक्त अरब गणराज्य
   गाबोन
   नाईजीरिया
   एक्यूडोर
   वैन्जुएला
   ईरान
   ईराक
   कुवैत
   कुआतार
   सऊदी अरब
   आबू धाबी
   इन्डोनेशिया

(5) सोसायटी द्वीप समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह टुआमोट, जाम्बियार ग्रुप और मार्केसस द्वीप समूह ।
(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश : कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीपसमूह और मेरियाना द्वीपसमूह (गाम को छोड़कर)

अनुबन्ध 2

माल पण्य सूची

1 राल्ज
2 विशेष इस्पात और मिश्रधातु इस्पात सहित इस्पात
3 ट्रकों और ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लिए संघटक, संयोजन और पुर्जे।
4 रसायन
5 भारत-जापान संयुक्त उद्यम के लिए फालतू पुर्जे, संघटक और कच्चा माल
6 बिजली के हलों के लिए संघटक, संयोजन और फालतू पुर्जे।
7 मशीनरी संघटक, संयोजन, फालतू पुर्जे और कच्चा माल।
8 भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के लिए मशीनरी और उपस्कर।
9 बम्बई हार्ड बाफ और डिवेलेपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी और उपस्कर।
10 उर्वरक और ऐसी अन्य मदें जिन पर आपस में सहमति हो।

अनुबन्ध 3

भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय —1978-79 के लिए 2 9 बिलियन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से आयात।

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से . के आयात के संबंध में हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे भेजते हैं जिससे कि आप सम्बद्ध संभरक के पक्ष में बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो को प्राधिकार पत्र जारी कर सकें —

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके—क्या यह सीधे क्रय या औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण।

(ङ) माल का उद्गम देश।

(च) संविदा का कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में)

(छ) भारतीय रुपए में भुगतान के योग्य भारतीय एजेन्ट के कमीशन की धनराशि (येन में) यदि कोई हो।

(ज) कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता है।

(झ) संभरकों के साथ संविदा का नाम और दिनांक।

(ञ) संभरक का नाम और पता और उसका प्रभार-पत्र (दो प्रतियों में) संलग्न किया जाए।

(ट) भुगतान शर्तें और सम्भावित तिथियां जिनके संविदा के अन्तर्गत भुगतान करना है।

(ठ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की सम्भावित तिथि।

(ड) बैंक ऑफ इण्डिया टोकियो को भुगतान के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका विवरण दर्शाते हुए)

(ढ) पोतलदान अनुदेश (क्या पोतान्तरण/आंशिक पोतलदान अनुमेय है अथवा नहीं, दर्शाएं)

(ण) भारत में आयातक बैंक का नाम और पता

(त) किस अवधि तक वैध है यह दर्शाते हुए बैंक गारंटी की संख्या, दिनांक तथा मूल्य।

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदाएं की गई हैं और यदि हां तो ऐसी संविदा का सं०, दिनांक और मूल्य।

भवदीय

अनुबन्ध-4

संख्या

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इण्डिया
टोकियो शाखा
टोकियो (जापान)

विषय :—2 9 बिलियन के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन आयात-भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

1 आपके बैंक के साथ 13-3-79 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न और (जो परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं) के अनुसार सर्वश्री के नाम में येन की धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2 कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के बारे में ठेकेदार को सूचना दें और प्रत्येक सूचना-पत्र की एक प्रति जापान सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान [परिशिष्ट में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. आयातक द्वारा आप को यदि कोई हो तो दस्तावेज के लिए अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़ों सहित भाड़े भी सीधे ही आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

5 जैसे ही जापानी संभरकों द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज के आधार पर आप के द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

6 इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

7 यह भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र तक वैध रहेगा।

भवदीय

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1 आयातक को उनके पत्र संख्या दिनांक के संदर्भ में

2 आयातक का बैंक उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या-8 आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार जापानी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं० 46-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा करना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको जापानी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जाती है।

ये धनराशियां या तो रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली-6 ....
(आदेशितों और आदाता) के नाम में और उसको वेय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 233-आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 24-10-1968, संख्या 132-आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71, संख्या 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 और संख्या 103-आई० टी० सी० (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "क डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज-843 सिविल डिपाजिट्स—डिपाजिट्स फॉर परचेजिस एटसेट्रा एब्राड परचेजिस ग्रान्ट्स ऍड फ्राम दि गवर्नमेंट ऑफ जापान फॉर 1978-79 (येन 2 9 बिलियन ग्रान्ट ऍड)"

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या-132 आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक ऑफ इण्डिया टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),
पहली मंजिल, यू एस आई बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली ।

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुन्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों में ब्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए ।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हो तो, बैंक खर्चे और बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो शाखा के अन्य खर्च इण्डियन बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे ।

4 भारतीय दूतावास टोकियो ।

5. अवर सचिव (टी सी एम) शाखा वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।

लेखा अधिकारी

अनुबन्ध-5

जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत पण्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन

1. प्रस्तावना

जापान की सरकार द्वारा बढ़ाई गई 2.9 बिलियन येन की अनुदान सहायता रकमों का उपयोग इस मार्गदर्शन में दी गई अधिप्राप्ति की क्रियाविधियों के अनुसार पात्र स्रोत देशों के बीच क्षमता और किसी भेद-भाव के बिना पण्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति और उनके लिए आनुषंगिक सेवाओं के लिए उचित विचार के साथ किया जाएगा ।

2. अधिप्राप्ति क्रियाविधि का चयन

अनुदान सहायता के अन्तर्गत सूचीबद्ध पण्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रियाविधियां लागू होंगी :—

(1) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा देना
(2) औपचारिक चयनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय संविदा देना
(3) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति
(4) सीधी खरीद

(क) सरकार और/या सरकारी एजेन्सी द्वारा अधिप्राप्ति के मामले में औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा या औपचारिक चयनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू होगी ।

(ख) गैर-सरकारी अधिप्राप्ति के मामले में उपर्युक्त उल्लिखित कोई भी क्रियाविधि लागू हो सकती है ।

(ग) लेकिन इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति या सीधी खरीद के माध्यम से अधिप्राप्ति कर स्वीकार करना सम्भव है :

(1) संविदा की मुद्रा की शर्तों के अनुसार जहां प्रस्तावित संविदा की धनराशि 300,000,000 येन, 1,500,000 यू एस डालर या 800,000 पौण्ड स्टर्लिंग से अधिक नहीं है ।

(2) जहां अहर्क संभरकों की संख्या सीमित है ।

(3) जिस मामले में किसी विशेष विशिष्टिकरण, ट्रेड नाम या पदनाम के सदर्भ द्वारा किसी पण्य वस्तु की खरीद उपस्कर के अन्तर-परिवर्तन या मानकीकरण, या विशेष डिजाइन की आवश्यकताओं के कारण का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक हो ।

(4) जिस मामले में उपर्युक्त मामला (1), (2) और (3) (अर्थात् आपाती अधिप्राप्ति के मामले में) से भिन्न कारण द्वारा या तो क्रियाविधि (1) या क्रियाविधि (2) लागू हो ।

(घ) ऊपर उल्लिखित किसी भी मामले में आयातक इस खण्ड के 1—3 तक में निर्धारित अधिप्राप्ति क्रियाविधि के अनुसार अधिप्राप्ति की पात्रता से सम्बद्ध कर्जदार को पुष्टि प्राप्त करेगा ।

3 संविदा की शर्तें

इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत वित्तीय दान को जाने वाली कोई भी संविदा निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी :

(1) पुण्य वस्तुओं की शर्तें

चूंकि, यह अनुदान सहायता का उपयोग पात्र स्रोत देशों में उत्पादित सूचीबद्ध पण्य वस्तुओं के लिए खर्चों का वित्त दान करने के लिए सीमित है इस लिए संविदा विषयक मद पात्र स्रोत देशों में उत्पादित सूचीबद्ध पण्य वस्तुएं होंगी और पात्र स्रोत देशों से भारतीय पत्तन को भेज दी जाएंगी । यदि पात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित फार्मूले से तीस प्रतिशत (30%) से कम होगा तो सूचीबद्ध पण्य वस्तुएं वित्तदान की जाएंगी मने हो वे संविदा की मदों में सूचीबद्ध पण्य वस्तुओं के अंश के रूप में गैर-पात्र स्रोत देशों से आयातित भाग के रूप में शामिल की गई हों । ऊपर उल्लिखित फार्मूला :—

$$\frac{\text{आयातित कीमत} + \text{आयात शुल्क}}{\text{संभरक की जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत}} \times 100$$

(2) संभरक की शर्त

संभरक पात्र स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा, या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत न्यायिक व्यक्ति होगा ।

(3) आयातक की शर्तें

सशस्त्र सेना या उससे मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थाओं द्वारा किन्हीं भी पण्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति इस ऋण के अन्तर्गत पात्र नहीं होगी ।

(4) मुद्रा का मूल्य वर्ग

संविदा क्रमशः एक येन (बाई 1.50) एक सेन्ट (सी 1.00) या एक पैनी (डी० 1 00) से कम किसी भिन्न के बिना ही जापानी येन, यूनाइटिड स्टेट डालर या स्टर्लिंग पौण्ड में निर्धारित की जाएगी और देय होगी ।

(5) संविदा का मानक प्रपत्र

(क) इस अनुदान सहायता के अंतर्गत वित्तदान की जाने वाली संविदा में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएंगी :

(1) संभरक और आयातक का नाम और राष्ट्रिकता
(2) संविदा की संख्या और दिनांक
(3) पण्य वस्तुओं का नाम और मूल स्थान
(4) संविदा का मूल्य और मात्रा
(5) अदायगी की शर्तें
(6) भुगतान और पोतलदान अनुसूची
(7) अन्य सामान्य विनियमन

(ख) दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा या विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टि आदेश द्वारा समर्थित विदेशी संभरक को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए विक्रय आदेश, या उनकी फोटो प्रतियां भी स्वीकार्य हैं ।

(ग) पात्रता का निम्नलिखित विवरण संभरक द्वारा प्रत्येक संविदा में शामिल किया जाएगा :

"मैं (हम) एतदद्वारा उल्लेख करता हूं/करते है कि मेरी (हमारी) कम्पनी ..... (पात्र स्रोत देश) में पंजीकृत है ।"

(6) भुगतान

प्रत्येक भुगतान अनुदान सहायता की हस्ताक्षर करने की तारीख अर्थात् 17 मार्च, 1979 को अथवा इसके बाद किया जाएगा ।

सिद्धांत के रूप में, संभरक को पोतलदान की पूरी धनराशि अपरिवर्तनीय साखपत्र के अंतर्गत संबंधित पोत परिवहन दस्तावेजों के बैंक ऑफ इण्डिया टोकियो को प्रस्तुत करने के प्रत्येक समय पर अदा की जाएगी ।

4. अन्तर्राष्ट्रीय संविदा का टेण्डर देना

जब अन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू की जाए तब अन्य नियमों के साथ निम्नलिखित नियमों के अनुसार अधिप्राप्ति की जाएगी :

(1) विज्ञापन देकर

औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदाकरण के अधीन सभी संविदाओं में बोली मांगने के लिए भारत में सामान्य रूप से प्रकाशित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में निविदा की जाएगी ।

(2) बोलियो के मागने और उन्हें प्रस्तुत करने के बीच का समय का अन्तराल

बोली तैयार करने के लिए अनुमति समय बहुत बड़ी सीमा तक संविदा के महत्व और पेचीदगी के ऊपर निर्भर करेगा । सामान्यत: अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 30 दिन स्वीकृत किए जाने चाहिएं । किन्तु अनुमित समय प्रत्येक संविदा से संबंधित हालातों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए ।

(3) बोली खोलने की क्रियाविधि

बोलियों की अन्तिम पावती के लिए और बोली खोलने के लिए तिथि, समय और स्थान की बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहिए । इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए । यदि उन्होने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए ।

(4) बोली बाण्ड या गारंटियां

बोली करने के मामले में, बोली बांड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं, किन्तु इनको इतना ऊंचे स्तर पर निर्धारित नही किया जाना चाहिए जिससे उपयुक्त बोलीकार निरुत्साहित हो जाए ।

बोली बाण्ड या गारंटियां बोली खुल जाने के बाद यथाशीघ्र असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिएं ।

(5) मापदण्ड

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली पण्य वस्तुएं जो मापदण्डो की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा ।

(6) ब्राण्ड नामो का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिएं और उन्हें केवल ब्राण्ड नाम, सूची संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए । बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पी पण्य वस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती-जुलती हैं और कम से कम उस विशिष्टिकरण के बराबर निष्पादन और गुण उनमें हैं ।

(7) गारंटी और निष्पादन बाण्ड

यदि आवश्यक हो तो बोली संबंधी दस्तावेजों में गारंटी के लिए जमपरत जमानत के रूप में कोई प्रपत्र होना चाहिएं । यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा या निष्पादन बाण्ड द्वारा दी जा सकती है ।

(8) निर्धारित क्षति

यदि आवश्यक हो तो जब कभी सुपुर्दगी में फालतू खर्च होता हो, राजस्व की हानि हो या आयातक के लिए अन्य लाभ की हानि हो तो बोली संबंधी दस्तावेजों में निर्धारित क्षति वाक्यांश जोड़े जाने चाहिएं ।

(9) विवष स्थितियां (फोर्स मेज्यूर)

बोली दस्तावेजो में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि संविदा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उस हालत में एक चूक नही माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवष स्थितियों (फोर्स मेज्योर) के फलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा की जानी है) ।

(10) झगड़ों का निपटान

झगड़ों के निपटान से संबंधित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिएं । यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ-निर्णय के नियमों' या भारतीय एवं समुद्रपार के संभरक दोनों को स्वीकार्य होने वाली व्यवस्थाओं पर आधारित होने चाहिएं ।

(11) मूल्यांकन

अनुबन्ध-6

[संदर्भ खण्ड-5 कंडिका-5 (2)]

गारन्टी बांड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

जारी किए गए आयात लाइसेंस संख्या .....
दिनांक ..... के आधार पर .....
द्वारा .....

(जिसे बाद में आयात कहा गया है)

के आयात के लिए भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें बाद में "सरकार" कहा गया है) के हेतु येन/यू एस डालर और पौण्ड स्टर्लिंग में भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए सहमत होते हुए हम .....
आयातक बैंक की प्रार्थना पर उपर्युक्त अनुदान सहायता के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से और उचित लेखा शीर्ष में सरकारी लेखे में जमा करने के लिए भुगतानों की सूचना पावती की तिथि से दस दिनो के भीतर बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो द्वारा व्यय की गई धनराशि को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 8 आई टी सी (पी एन)/76—, दिनांक 17-1-76 में निहित अनुसार अथवा सार्वजनिक सूचनाएं/डी परिपत्र में समय-समय पर अधिसूचित के अनुसार परिवर्तित मिश्रित दर के हिसाब से और इस धनराशि में समुद्रपार संभरक की भुगतान होने की तिथि से सरकारी खाते में समतुल्य रुपया जमा होने की तिथि तक की अवधि पर प्रथम 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज जोड़ कर

और इससे अधिक गणना की गई अवधि के लिए 15% वार्षिक दर से ब्याज को जोड कर धनराशि जमा करने की व्यवस्था करने का एतद्द्वारा वचन देते है । बैंक ऑफ इण्डिया, टाकियो से प्राप्त आयात प्रलेखों का परक्राम्य सेट आयातक को तभी लौटाया जाएगा जब कि उपयुक्त अपेक्षित रुपया जमा कर दिया गया हो ।

2. हम दि ..... बैंक, समय-समय पर ऐसे स्थान और ऐसी रीति से जो सरकार निर्दिष्ट करे, आयातक द्वारा सरकार को देय अथवा चुकाने योग्य किसी धनराशि को जो ..... रुपए से अधिक न हो या निश्चित समय के भीतर आयातक द्वारा देय या चुकाने योग्य धनराशि के किसी भाग को और समुद्र पारसभरक को भुगतान करने की तिथि से 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और इससे अधिक गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज को न चुकाने में आयातक की त्रुटि होने पर स्वयं क्षतिपूर्ति करने को और सरकार को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त रखने का भी वचन देते हैं । उक्त भुगतान में आयातक द्वारा या उसकी तरफ से हमारे ..... बैंक द्वारा सरकार को देय धनराशि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की त्रुटि सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और हमारे बैंक पर लागू होगा ।

3 हम ..... बैंक, आगे इस बात पर सहमत है कि संविदा के अन्तर्गत आयातो के मूल्य में या जो माल छुड़ाना बाकी है उसके मूल्य में उपयुक्त पैरा एक मे उल्लिखित मुद्रा विनियम के मिश्रित दर में परिवर्तन होने की स्थिति मे, जब से परिवर्तन हुआ है इस परिवर्तन के अनुपात मे इस बैंक गारन्टी बाड को धनराशि का समायोजित कर लिया जाएगा ।

4. हम ..... बैंक, आगे सहमत है कि इसके अन्तर निहित यह गारन्टी उक्त करार/संविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक इसके अन्तर्गत सरकार को देय सब बकाया पूर्ण रूपेण नही चुकाए जाते और इस गारन्टी को हैसियत से दावो को पूर्ण नही कर दिया गया हो या वे अदा नही कर दिए गए हो ।

5. इस गारन्टी पर आयातक या दि ..... बैंक, के विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नही पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारन्टी का प्रभावित किए बिना आयातक पर लागू होने योग्य किसी भी अधिकार को किसी समय या समय-समय के लिए स्थगित करे और पूर्वोक्त मामलो के सदर्भ में या आयोतक को दिए जा रहे समय के कारण या सरकार की ओर से किसी अन्य स्थान, निर्णय या छूट या सरकार द्वारा आयातक पर किसी अनुग्रह या कानून के अन्तर्गत प्रतिपूर्तियों से सम्बन्धित कोई भी मामला या वस्तु जो इस परन्तुक के लिए दि ..... बैंक को इसके दायित्वो से मुक्त करने के लिए प्रभाव डाले, सरकार द्वारा इन मामलों में किसी प्रकार की स्वतन्त्रता का प्रयोग करने से इस गारंटी के अन्तर्गत दि ..... बैंक, अपने दायित्वों से मुक्त नही होगा ।

6. हम ..... बैंक अन्त में यह वचन देते है कि सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना इस गारन्टी को इसकी चालू अवधि के दौरान रद्द नही करेंगे ।

7. इस बाड/गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व ..... रुपए (ब्याज और कमीशन प्रभार जिसकी आशा गारन्टी की धनराशि के एक प्रतिशत से अधिक होने की नही है) तक प्रतिबन्धित है और यह गारन्टी दिनांक ..... तक और जब तक इस निधि से 6 महीनो के भीतर इस गारन्टी के अन्तर्गत दावे पूर्ण नही कर दिए जाते है और जब तक अगले 6 महीनो के भीतर उन दावो को लागू करने के लिए आवेदन या कार्यवाही नही की जाती, तब तक लागू रहेगी । इसके बाद अर्थात् दिनांक ..... तक इस बाड/गारन्टी के अन्तर्गत सरकार के सब अधिकारो से छुटकारा और कार्य मुक्ति मिल जाएगी ।

दिनांक 1979

कृते ..... बैंक

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री .....

(नाम तथा पदनाम)

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

**जिस तिथि तक साख-पत्र को वैध रखने की आवश्यकता होती है उस तिथि में एक महीना जोड़कर यह तिथि गिनी जाएगी ।

टिप्पणी :—जिस स्टाम्प पेपर पर यह गारन्टी कार्यान्वित की जाती है उसके मूल्य का निर्णय भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत स्टाम्प समाहर्ता द्वारा किया जाता है ।

अनुबन्ध-7

[खण्ड-7, कंडिका-7 (5)]

बैंक गारंटी की रिहाई के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप

सेवा में,

महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग
यू सी ओ बैंक बिल्डिंग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-110001

महोदय,

हम ..... रुपये के लिए बैंक गारंटी संख्या ..... दिनांक ..... के अन्तर्गत अपने दायित्व के अनुपालन में हमारे द्वारा जमा किए गए रुपये की विस्तृत सूचना नीचे इस आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि बैंक गारंटी रिहा की जाए और हमें लौटाई जाए :—

1. जिसकी ओर से बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी उस आयातक/लाइसेंसधारी का नाम और पूरा पता

2 आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक, मूल्य उसके अधीन आयात के लिए अनुमेय किए गए उपस्कर और/या पण्य वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण ।

3 वित्त मंत्रालय से प्राप्त किए गए प्राधिकरण के ब्यौरे (प्रत्येक प्राधिकरण पत्र के लिए अलग से ब्यौरा दिया जाना है।

(क) पत्र संख्या और दिनांक

(ख) प्राधिकरण की धनराशि

(ग) 2.9 बिलियन येन की जापान अनुदान सहायता

4 आयातो के ओर जमा किए गए रुपये के ब्यौरे (प्रत्येक प्राधिकरण के लिए अलग से ब्यौरा दिया जाना है :—

(क) येन/यू एस डालर/पौंड मे बीजक की धनराशि (कुल)

(ख) जमा किए गए रुपए की धनराशि

(ग) संबंधित चालान संख्या और दिनांक एवं राजकोष/बैंक का नाम

(घ) यदि रुपए दर्शनी हुन्डी द्वारा जमा किए गए हों तो दर्शनी हुन्डी की संख्या और दिनांक और जिस पत्र के साथ दर्शनी हुण्डी बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली को भेजी थी उसकी संख्या और दिनांक ।

5. प्रत्येक प्राधिकरण में उपयोग की गई और बिना उपयोग की गई शेष धनराशि (येन/यू० एस० स्टर्लिंग/पौंड)

2 हम प्रमाणित करते हैं कि —

(1) *वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए प्राधिकरण (पत्र) में उपलब्ध येन की शेष धनराशि उपयोग नहीं की गई/उपयोग नहीं की जाएगी ।

(2) विषयाधीन बैंक गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व विधिवत पूर्ण हो गया है ।

3 हम इस बात की पुष्टि करते है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो का ब्याज और बैंक प्रभार इस सौदे से संबंधित समुद्रपार सप्लायरों के बैंकरों, के भाड़े बैंक आफ इंडिया, टोकियो को हमारे द्वारा भेज दिए गए हैं ।

4 अनुरोध है कि बैंक गारंटी रिहा की जाए और निरस्त करने के लिए हमें लौटा दी जाए ।

भवदीय,

[बैंक के लिए और बैंक की ओर से प्राधिकृत अधिकारी]

*जो भी लागू हो ।

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO 49-ITC(PN)/79

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th September, 1979

Subject : Terms and conditions governing the issuance of import licences for public and Private sector imports under the Japanese Grant Aid for 1978-79 extended by the Government of Japan.

No. IPC/39/18/78.—The terms and conditions governing the issuance of import licences for Public and Private Sector imports under the Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion (2,900,036,000) extended by the Government of Japan for 1978-79 as given in Appendices I and II respectively to this Public Notice are notified for information.

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports and Exports

APPENDIX I TO DEPARTMENT OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 49-ITC (PN)/79 DATED 24-9-1979 LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF PUBLIC SECTOR IMPORTS UNDER THE JAPANESE GRANT AID OF YEN 2.9 BILLION (2,900,036,000) FOR 1978-79 EXTENDED BY THE GOVT. OF JAPAN

Section I—General Conditions :

I (i) The Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion extended by the Government of Japan is untied in favour of OECF and developing countries. Accordingly the commodiites and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be the eligible source countries under this Grant. However, if commodities imported under the licence contain components orignating from a non-eligible source country or countries, it should be ensured by the importer, while negotiating a supply contract, that the total c.i.f. cost, including import duties, of such components imported into the country of the supply contract is less than 30 per cent of the f.o.b. value of the supply contract. In such a case, a certificate to this effect should be obtained from suppliers and attached to the supply conrtact. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

I (ii) The licence will bear the superscription "Yen 2.9 billion Japanese Grant Aid for 1978-79". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I(iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (TCM Section) in the matter.

I(v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary, Department of Economic Affairs (TCM Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi (Within 4 months from the date of issue of the import licence. "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the Overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, TCM Section, within four months from the date of issue of the import licence If firm orders as explained in para 1 (v) above cannot be placed within 4 months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within 4 months Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months If however, extension is sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (TCM Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 30-6-1981.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract

II(i) (a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one Cent or one Penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i e on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) For individual imports not exceeding Yen 300 million or US $ 1,500,000 or £ 800,000 in value (exclusive of Indian agents commission) the licensee is free to effect purchases directly from the suppliers without recourse to international tender enquiries from the countries listed in Annexure-I

II(iii) Where, however the supply contracts exceeds the value limit prescribed in II (ii) above (exclusive of Indian Agents commission), the following procedure for procurement should be rigidly followed :—

(a) Formal Open International Tendering

(b) Formals elective International Tendering

(c) Informal International Competitive Procurement

II(iv) Any reference to International Tendering or International Procurement will mean tendering or Procurement, as the case may be from the eligible source countries

The above procedure may be relaxed in favour of Informal Competitive procurement or Direct Purchases where

1. a number of qualified suppliers exist in one particular country or in a limited number of countries ;
2. purchase of a commodity by reference to a particular specification, trade name or designation is necessary in order to assure the interchangeability or standardisation of equipment or because of special design requirements ;
3. where purchases are in the category of emergency procurement.

The licensee is therefore advised that in case where the procedure at (a) and (b) of Para II(iii) above cannot be taken recourse to a reference to the Department of Economic Affairs shall have to be made who will give necessary approval on merits of each case.

II(v) Where Formal Open International Tendering is resorted to the following points should be borne in mind :—

(a) Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

(b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be so high as to discourage suitable bidders.

(c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II(vi) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(vii) Eligibility of Supplier

The supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 17th March, 1979 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 2.9 billion for 1978-79 "and will be subject to the approval of the Government of India."

III(ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorisation to pay' (A|P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Econmic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1978-79.

III(iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III(iv) Where Suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importers require this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

III(v) A certificate in the form indicated below : –

"I (We) hereby state that my (our) Company has been registered in———————— (eligible source country) and is governed by nationals of the eligible source countries, or juridical persons registered and incorporated in the eligible source countries."

III(vi) Where supply contract is based on formal Open International Tendering or Formal Selective International Tendering a certificate to the following effect should be furnished :—

(i) Name of the Newspaper(s) in which the bid specifications was published;

(ii) Name of parties who quoted against the tender enquiry;

(iii) the reason for selecting a particular offer indicating whether it is the lowest technically suitable bid.

NOTE:—For detailed procedure for procurement of commodities and finalisation of supply contract see Annexure

Section IV—Contract Approval by Government of India

IV(i) As soon as the orders are finalised, he Licensee should forward to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the supplier supported by order confirmation in writing by the supplier or their photo copies complete in all respects to gether with two photo copies of the relevant valid import licence as also two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(ii) If the contract documents "Request for issue of A/P' and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) TCM Section will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAAA and the Embassy of India, Tokyo.

IV(iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure IV for making payment to the supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo the importer, importer's Bank in India and TCM Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV(iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importers' Bank in India and the C A A & A.

IV(v) The foreign supplier shall, after affecting shipment, present through his bankers the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the supplier through his bankers.

IV(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section V—Responsibility for rupee deposit

V(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the supplier along with interest charges thereon calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign Supplier to the date of

actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC (PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76, dated 12-10-1976 the exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC (PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time tot ime through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K—Deposits and Advances—843 Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad—purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1978-79—(Yen 2.9 billion Grand Aid)

V(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

V(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

(a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.

(b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the foreign supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAAA indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

NOTE :—Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V(iv) The concerned banks in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VI.—Miscellaneous provisions

VI(i) Reports on the utilisation of the import licence.—The importer should send a monthly report, after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controllor of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VI(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.—The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI(iii) Disputes.—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure—I under "Terms of payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

VI(iv) Future Instructions.—The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government India from time to ime regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1978-79 from Japan.

VI(v) Breach or violation.—Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act).

VI(vi) List of Annexures :—

Annexure I—List of eligible source countries.

Annexure II—List of eligible commodities

Annexure III—Form of Request for issue of Authorisation to Pay (A/P).

Annexure IV—Form of letter of Authorisation to Pay (A/P)

Annexure V—Detailed procedure for procurement.

ANNEXURE I

Ref : Section 1—Para 1(v)

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. OECD Countries

Australia
Austria
Belgium
Canada
Denmark
Finland,
France,
The Federal Republic of Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxembourg
the Netherlands
Newzealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
The United Kingdom and the United States

B. Developing Countries & Territories

(b1) Non-O.P.E.C. Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara

Egypt

Morocco

Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara

Angola

Botswana

Burundi

Cameroon

Cape Verde Islands

Central African Rep

Chad

Comoro Islands

Congo, People's Republic of Dahomay (1)

Equatorial Guinea

Ethiopia

Gambia

Ghana

Guinea

Ivory Coast

Kenya

Lesotho

Liberia

Malagasy Republic

Malawi

Mali

Mauritania

Mauritius

Moozambique

Niger

Portuguese Guinea

Reunion

Rhodesia

Rwanda

St. Helena and dep (2)

Sao Tome and Principee

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Swaziland

Terro. Afars and Issas

Tago

Uganda

Un. Rep. of Tanazania

Upper Volta

Zaire Republic

Zambia

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St, Eustacit St. Martin (Southern Part).

III. AMERICA, North and Cent.

Bahamas

Barbodoses

Belize

Bermuda

Costa Rica

Cuba

Dominican Republic

El Salvador

Guadeloupe

Gualemala

Haiti

Honduras

Jamaica

Martinique

Mexico

Netherlands A tilles

Nicaragua

Panama

St. Pierre & Miquelon

Trinidad and Tabago

West Indies (Br.) n.i.e.

(a) Associated States (1)

(b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South

Argentina

Bollvia

Brazil

Chile

Colombia

Falkland Islands

French Guiana

Guyana

Paraguay

Peru

Surinam

Uruguay

V. ASIA, Middle East

Bahrain

Israel

Jordan

Lebanon

Oman

Syrian Arab Republic

United Arah Emirates (3)

Yemen Arab Republic

Yemen, People's D.R. (4)

VI. ASIA, South

Afghanistan

Bangladesh

Bhutan

Burma

Maldivis

Nepal

Pakistan

Sri Lanka

VII. ASIA, Far East

Burnei

Hong Kong

Khmer Republic

Korea Republic of Lacs

Macao

Malaysia

Phillippines

Singapore

Taiwan

Thailand

Timer

Vietnam, Rep. of Viet-Nam Dem. Rep.

(1) Main islands : Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristephe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(2) Main islands ; Montserrant, Gayman, Turks and Caicos and British Virgin Islands.

(3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaitwain.

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands ; Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

VIII. OCEANIA

Cock Islands

Fiji

Gilbert & Ellice Is.

French Pelynesia (5)

Nauru

New Caledonia

New Hebrices (Br. and Fr.)

Hieu

Pacific Islands (US) (6)

Papua New Guinea

Solomon Islands (Br.)

Tongo

Wallis and Futuna

Western Samoa

IX. EUROPE

Cyprus

Gibralter

Greece

Malta S

Spain

Turkey

Yugoslavia

(b2) Member or Associate Countries of OPEC

Algeria

Bolivia

Libyan Arab Republic

Gabon

Nigeria

Ecuador

Venezuela

Iran

Iraq

Kuwait

Qatar

Saudi Arabia

Abu Dhabi

Indonesia

ANNEXURE II

ELIGIBLE COMMODITY LIST

1 Rolls

2 Steel including special steel & alloy steel

3 Components, attachments and spares for manufacture of trucks and tractors

4 Chemicals

5 Spares, components and raw materials for Indo-Japanese Joint Venutres

6 Components, attachments and spares for power tillers

7 Machinery, components attachments, spares and raw materials

8 Machinery and equipment for the National Small Industries Corporation of India

9 Machinery and equipment for the Bombay High Offshore Development Project

10 Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon

ANNEXURE III

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

No

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001

Subject —Import from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 2 9 billion for 1978-79.

Sir,

In connection with the import of . . . from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A|P to the Bank of India Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods

(f) Gross C&F value of contract (in Yen)

(g) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.

(h) Net C&F Value (in Yen) for which the A/P is required

(i) Name and date of the contract with Suppliers.

(j) Name and Address of the Supplier and attach an eligibility certificate (in duplicate)

(k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) Expacted date of completion of deliveries.

(m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(n) Shipment instructions (indicate if transhipment| partshipment permitted or not permitted).

(o) Name and Address of the Importer's bank in India.

(p) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No. date and value of such contract.

Yours faithfully,

ANNEXURE IV

No.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch
Tokyo (Japan).

Subject :—Import under Japanese Grant Aid for Yen 2.9 billion Issue of Authorisation to pay

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 13-3-1979 entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen ——————to M/s——————(as per details given in the Appendix).

2. Please advise the Contractor of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy each of this advice to the Government of Japan, importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. The banking charges including charges for handling documents, if any, payable to you by the importer will also be settled directly by the importer's bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

6. No amendments to A/P may be issued in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. This A/P will remain valid upto——————.

Yours faithfully,
Accounts Officer

Copy forwarded to: —

1. Importer——————————.with reference to their letter No.————dated————.

2. Importer's Banker ——————.They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15% per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e., the day on which payment is made to the Japanese Supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the

Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is K-Deposits & Advances-843-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan for 1978-79—(Yen 2.9 billion Grant Aid).

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Bullding, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalent are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TCM) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer,

ANNEXURE V

Guidelines for Procurement of Commodities under Japanese Grant Aid

I. Introduction more

The proceeds of the Grant Aid of Yen 2.9 billion extended by the Government of Japan shall be used with due attention to efficiency and non-discrimination among the eligible source countries for procurement of commodities and services incidental thereto in accordance with the procurement procedures set out in this guide lines.

II. Selection of Procurement Procedure

The following procedures shall be applicable to the procurement of Listed Commodities under the Grant Aid:

(1) Formal Open International Tendering.

(2) Formal Selective International Tendering.

(3) Informal International Competitive Procurement.

(4) Direct Purchases.

(a) In the case of the procurement by the government and/or a government agency, Formal Open International tendering or Formal Selective International Tendering shall be applied.

(b) In case of non-government procurement, any of the procedures mentioned above may be applied.

(c) It is, however, possible under this Grant Aid to accept the procurement through Informal International Competitive Procurement or Direct Purchases in the following cases.

(i) Where the amount of a proposed contract does not exceed 300,000,000.—, US Dollar 1,500,000.—or Pound Sterling 800,000.—, in terms of currency of the contract.

(ii) Where the number of qualified suppliers is limited.

(iii) Where purchase of a commodity by reference to a particular specification, trade name or designation is necessary in order to assure the inter-changeability or standardization of equipment, or because of special design requirements.

(iv) Where either procedure (1) or procedure (2) by the reason other than the case (i), (ii) and (iii) above (e.g. in case of emergency procurement) is inapplicable.

(d) In any case mentioned above, Importer shall get a confirmation of the Borrower concerning the eligibility of procurement in accordance with the procurement procedure set forth in this Section 1-3.

III. Conditions of Contract

Any contract to be financed under this Grant Aid shall fulfill the following conditions.

1. Conditions of Commodities

As the use of this Grant Aid is limited to financing expenditures for Listed Commodities produced in the eligible source countries, the subject items of the Contract shall be Listed Commodities produced in the eligible source countries and to be shipped to an Indian port from the eligible source countries. If the imported portion from non-eligible source countries is less than thirty per cent (30 per cent) of the fol-

lowing formula, Listed Commodities will be financed even if the imported portion from non-eligible source countries is included as a part of the Listed Commodities in the items of the Contract Formula mentioned above:

$$\frac{\text{Imported Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

2. Conditions of Supplier:

The Supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered in the eligible source countries.

3. Conditions of Importer:

The procurement of any Commodities by the armed forces or their affiliated organizations of India shall not be eligible under the Loan.

4. Denomination of Currency:

The Contract shall be fixed and payable in Japanese Yen, United States Dollar, or Sterling Pound without any fraction less than one Yen (Y 1.00), One cent (C 1.00) of One Penny (d. 1.00) respectively.

5. Standard Form of Contract

(a) The following items shall be inserted in the Contract to be financed under this Grant Aid:

(1) Name and Nationality of Supplier and Importer
(2) Number and Date of the Contract
(3) Name and Origin of the Commodities
(4) Contract Price and Quantity
(5) Payment Terms
(6) Delivery and Shipment Schedule
(7) Other General Regulations

(b) The Contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian Importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies, are also acceptable.

(c) The following statement of eligibility by the Supplier shall be added to each contract:

"I (We) hereby state that my (our) company has been registered in——————— ——— (eligible source country)."

6. Payment:

Each payment shall be made on and after the date of signing of the Grant Aid i.e. 17th March, 1979.

In principle, the full amount of a shipment shall be paid to the supplier on cash basis at each time of presentation of the relative shipping documents to the Bank of India, Tokyo.

IV. International Tendering

When International Tendering is applied, the procurement shall be made in accordance with the following principles, among others:

1. Advertising:

On all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

2. Time Interval Between Invitation and Submission of Bids:

The time allowed for prepartion of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

3. Bid Opening Procedures:

The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be pened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

4. Bid Bonds or Guarantees:

In the case of bidding, bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement, but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.

Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

5. Standards:

If national standards with which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

6. Use of Brand Names:

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features.

In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characterstics and provide performance and quality at least equal to those specified.

7. Guarantees and Performance Bonds:

Bidding documents may require some form of surety for guarantees, if necessary. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond.

8. Liquidated Damages:

Liquidated damages clauses, if necessary, should be included in bidding documents when delays in delivery will result in extra expenditures, loss of revenues or loss of other benefits to the Importer.

9. Force Majeure:

The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

10. Settlement of Disputes:

Provisions dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the Inter-

national Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas Supplier.

11. Evaluation :

APPENDIX II TO DEPARTMENT OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 49 ITC (PN)/79 DATED 24-9-1979.

LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF PRIVATE SECTOR IMPORTS UNDER THE JAPANESE GRANT AID OF YEN 2.9 BILLION FOR 1978-79 EXTENDED BY THE GOVERNMENT OF JAPAN

Section I—General Conditions :

I(i) The Japanese Grand Aid of Yen 2.9 billion extended by the Government of Japan is untied in favour of CECD and developing countries. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure I which will be the eligible source countries under this Grant. However, if commodities imported under the licence contain components originating from a non eligible source country or countries, it should be ensured by the importer, while negotiating a supply contract, that the total c.i.f. cost, including import duties, of such components imported into the country of the supply contract is less than 30 per cent of the f.o.b. value of the supply contract. In such a case, a certificate to this effect should be obtained from suppliers and attached to the supply contract. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure II.

I(ii) The licence will bear the superscription "Yen 2.9 billion Japanese Grant Aid for 1978-79". The licence code for the first and second suffix will be "S/IN". These will also be repeated in the letter from the CCI&F forwarding the import licence.

I(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in, Indian rupees to the agents in India. Such payment however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I(iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the Licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (TCM Section) in the matter.

I(v) Firm order must be placed on CIF or on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan or in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretry, Department of Economic Affairs (TCM Section) Ministry of Finance, North Block, New Delhi within 4 months from the date of issue of the import licence. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly supported by order confirmation by the letter of purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas Suppliers and/or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

I(vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, TCM Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(v) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months Such requests for extension in the ordering period will be considered on merits by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of this import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (TCM Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 30-6-1981.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a suply contract :

II(i) (a) The value of the contract should be expressed in Yen or US Dollars or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one Cent or one Panny and should exclude Indian Agent's commision, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The FOB cost, insurance and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchse order and supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) For individual imports not exceeding Yen 300 million or Us $ 1,500,000 or £ 800,000 in value (exclusive of Indian agents commission) the licensee is free to effect purchases directly from the suppliers without recourse to international tender enquiries from the countries listed in Annexure-I.

II(iii) Where, however, the supply contracts exceed the limit prescribed in II (ii) above in value (exclusive of Indian agents commission), any one of the following procedures for procurement should be rigidly followed :

(a) Formal Open International Tendering

(b) Formal selective International Tendering

(c) Informal International Competitive Procurement

II(iv) Any reference to International Tendering or International Procurement will mean tendering or procurement, as the case may be, from the eligible source countries.

The above procedure may be relaxed in favour of Informal Competitive procurement or Direct purchase where—

1. a number of qualified suppliers exist in one particular country or in a limited number of countries.

2. purchase of a commodity by reference to a particaular specification, trade name or designation is necessary in order to assure the interchangeability or standardisation of equipment or because of special design requirement.

3. Purchases are in the category of emergency procurement.

The licensee is therefore advised that in case where the procedure at (a) and (b) of para II (iii) above cannot be taken recourse to, a reference to the Department of Economic Affairs shall have to be made who will consider each such case on merits.

II(v) Where Formal Open International Tendering is resorted to, the following points should be borne in mind :—

(a) Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

(b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.

(c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II(vi) Only one contract should be entered into for the full value of the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(vii) Eligibility of Supplier

The Supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person governed substantially by nationals of the eligible countries.

Section III : The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 17th March, 1979 between the Government of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 2.9 billion for 1978-79 and will be subject to the approval of the Government of India.

III(ii) Payments to the suppliers shall be made through an "Authorisation to pay" (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1978-79.

III(iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III(iv) Where the suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, atleast four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

III(v) A certificate in the form indicated below :—

"I (We) hereby state that my (our) Company has been registered in.....(eligible source country) and is governed by nationals of the eligible source countries or juridical persons registered and incorporated in the eligible source Countries".

Section—IV Detailed Procedure for procurement and finalisation of supply contract has been indicated in Annexure-V

Section—V Contract Approval by Government of India

V(i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward to the Under Secretary, (TCM Section), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the Overseas Suppliers supported by order confirmation in writing by the Overseas Supplier or their photo-copies, complete in all respects, together with two photo-copies of the relevant valid impirt licence and also two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annexure III, accompanied by a Bank Guarantee in the form prescribed in Annexure—VI duly adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamp Act.

Where supply contract is based on formal Open International Tendering or Formal Selective International Tendering, a certificate to the following effect should be furnished in duplicate :—

(i) Name of the Newspapers in which the bid specification was published ;

(ii) Name of parties who quoted against the tender enquiry ;

(iii) the reason for selecting a particular offer indicating whether it is the lowest technically suitable bid.

V(ii) Bank Guarantee—Amount for which it should be executed.

The Bank Guarantee should be for an amount representing the rupee equivalent of the foreign currency amount for which the Authorisation to pay (A/P) is sought plus interest and other charges as mentioned in Annexure—VI The rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue and prevailing on the date of issue of the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC (PN)/74 dated the 6th June, 1974 issued by the CCI&E.

This rate is meant only for the purpose of arriving at the value of the Bank Guarantee to be furnished by the licensee. For the purpose of making rupee deposits into Government account towards the cost of imports, the rupee equivalent will have to be worked out in the manner indicated in Section VII below.

V(iii) If the contract documents, Request for issue of 'A/P', the Bank Guarantee and other connected documents are found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, TCM Section will approve the contract and arrange to send one set of the documents to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Ist Floor Parliament Street, New Delhi, and Embassy of India, Tokyo.

Section VI—Payment to the Overseas Suppliers—A/P.

(i) On receipt of the documents mentioned in Section V (iii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure III for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and T.C.M. Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

VI(ii) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA & A.

VI(iii) The foreign supplier shall, after affecting shipment, present through his bankers the documents specified in the A/P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the supplier through his bankers.

VI(iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's Account.

Section VII—Responsibility for rupee deposit :

VII(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure—III who should release these negotiable sets of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the supplier alongwith interest charges thereon calculated at the rate of 9% per annum for the first thirty days and at 15% for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-74 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public

Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroad-purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1978-79. —(Yen 2.9 billion Grant Aid)

VII(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

VII(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the Importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

(a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.

(b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the foreign supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the Japanese supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VII(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

VII(v) After the obligations in terms of the Bank Guarantee and the Authorisation issued by the CAA&A in the Ministry of Finance are fulfilled, the concerned Bank in India can apply to the CAA&A for the release of bank guarantee. The application for this purpose be made in the form laid down in Annexure—VII.

Section—VIII Miscellaneous provisions

VIII(i) Reports on the utilisation of the import licence

The importer should send a monthly report after the A/P has been issued regarding shipments and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII(iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

VIII(iv) Future Instructions

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1978-79 from Japan.

VIII(v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII(vi) List of Annexures :

Annexure I : List of eligible source countries

Annexure II : List of eligible commodities

Annexure III : Form of request for issue of Authorisation to Pay (A/P)

Annexure IV : Form of letters of Authorisation to Pay (A/P)

Annexure V : Detailed procedure for procurement

Annexure VI : Form of Guarantee Bond

Annexure VII : Form of Application for release of Bank Guarantee.

ANNEXURE—I

[Ref : Section I—Para 1(v)]

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A **OECD Countries**

Australia

Austria

Belgium

Canada

Denmark

Finland

France

The Federal Republic of Germany

Greece

Iceland

Ireland

Italy

Japan

Luxembourg

The Netherlands

New Zealand

Norway

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

The United Kingdom and
The United States.

B **Developing Countries & Territories**

(b1) **Non-O.P.E.C. Developing Countries**

I. Africa North of Sahara

Egypt

Morocco

Tunisia

II. Africa, South of Sahara

Angola

Botswana

Burundi

Cameroon

Cape Verde Islands

Central African Rep.

Chad

Comoro Islands

Congo, People's Republic of Dahomay (1)

Equatorial Guinea

Ethiopia

Gambia

Ghana

Guinea

Ivory Coast

Kenya

Lesotho

Liberia

Malagasy Republic

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

Malawi

Mali

Mauritania

Mauritius

Moozambique

Niger

Portuguese Guinea

Reunion

Rhodesia

Rwanda

St. Helena and dep (2)

Sao Tome and Principee

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Swaziland

Terro. Afars and Issas

Tago

Uganda

Un. Rep. of Tanazania

Upper Volta

Zaire Republic

Zambia.

III. **America, North and Cent.**

Bahamas

Barbodoses

Belize

Bermuda

Costa Rica

Cuba

Dominican Republic

El Salvador

Guadeloupe

Guatemala

Haiti

Honduras

Jamaica

Martinique

Mexico

Netherlands A tilles

Nicaragua

Panama

St. Pierre & Miquelon

Trinidad and Tabago

West Indies (Br.) n.i.e.

(a) Associated States (1)

(b) Dependencies (2)

IV. **America, South**

Argentina

Bolivia

Brazil

Chile

Colombia

Falkland Islands

French Guiana

Guya...

Paraguay

Peru

Surinam

Uruguay

V. **Asia, Middle East**

Bahrain

Israel

Jordan

Lebnon

Oman

Syrian Arab Republic

United Arab Amirates (3)

(2) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St. Eustacit, St. Martin (Southern Part).

Yemen Arab Republic

Yemen, People's D.R. (4)

VI. **Asia, South**

Afghanistan

Bangladesh

Bhutan

Burma

Maldivis

Nepal

Pakistan

Sri Lanka

VII. **Asia, Far East**

Burnei

Hong Kong

Khmer Republic

Korea, Republic of

Laos

Macao

Malaysia

Philippines

Singapore

Taiwan

Thailand

Timer

Vietnam, Rep. of

Vlet-Nam Dem. Rep.

VII. OCEANIA

Cock Islands

Fiji

Gilbert & Ellice Is.

French Pelyncsia (5)

Nauru

New Caledonia

New Hebrices (Br. and Fr.)

Hieu

Pacific Islands (US) (6)

Papua New Guinea

Solomon Islands (Br.)

Tongo

Wallis and Futuna

Western Samoa

IX. EUROPE

Cyprus

Gibralter

Greece

Malta S

Spain

Turkey

Yugoslavia

(b2) Member or Associate Countries of OPEC

Algeria

Bolivia

Libyan Arab Republic

Gabon

Nigeria

Ecuador

Venezuela

Iran

Iraq

Kuwait

Qatar

Saudi Arabia

Abu Dhabi

Indonesia

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands; Caroline Islands, Marshal Islands and Marine Islands (except Guam).

ANNEXURE –II

ELIGIBLE COMMODITY LIST

1. Rolls

2. Steel including special steel and alloy steel

3. Components, attachments and spares for manufacture of trucks and tractors

4. Chemicals

5. Spares, components and raw materials for Indo-Japanese Joint Ventures

6. Components, attachments and spares for power tillers

7. Machinery, components, attachments, spares and raw materials

8. Machinery and equipment for the National Small Industries Corporation of India

9. Machinery and equipment for the Bombay High Offshore Development Project

10. Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon.

ANNEXURE—III

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

No

To

The Controller of Aid Accounts & Audit.
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, Ist Floor,
Parliament Street, New Delhi-110001.

Subject :—Imports from Japan under the Japanese Grant Aid of 2.9 billion for 1978-79

Sir,

In connection with the import from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

(a) Name and address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Gross C&F value of contract (in Yen).

(g) Amount of Indian agency commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.

(h) Net C&F Value (in Yen) for which the A/P is required.

(i) Name and date of the contract with Suppliers.

(j) Name and Address of the Supplier and attach an eligible certificate (in duplicate).

(k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) Expected date of completion of deliveries.

(m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(n) Shipment instructions (indicate if transhipment/part-shipment permitted or not permitted).

(o) Name and Address of the Importer's bank in India.

(p) Number, date and value of the Bank Guarantee (s) indicating the period(s) upto which the same is (are) valid.

(q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No., date and value of such contract.

Yours faithfully,

ANNEXURE—IV

No.

Government of India
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject :—Import under Japanese Grant Aid for Yen 2.9 billion Issue of Authorisation to pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 13-3-1979 entered into with your Bank, you are

hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen ————to M/s. ————(as per details given in the Appendix).

2. Please advise the Contractor of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy each of this advice to the Government of Japan, Importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. The banking charges including charges for handling documents if any, payable to you by the importer will also be settled directly by the importer's bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

6. No amendments to A/P may be issued in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. This A/P will remain valid upto————

Yours faithfully,

Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer————with reference to their letter No.————dated————.

2. Importer's Banker ———— They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76, dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese Supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I. Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)/68, dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71, dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)/76, dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is 'K-Deposits & Advances -843-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Goverment of Japan for 1978-79/(Yen 2.9 billion Grant Aid).

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71, dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Ist Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of Inlia, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TCM) Ministry of Finance Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer

ANNEXURE—V

Guidelines for Procurement of Commodities under Japanese Grant Aid

I. Introduction

The proceeds of the Grant Aid of Yen 2.9 billion extended by the Government of Japan shall be used with due attention to efficiency and non-discrimination among the eligible source countries for procurement of commodities and services incidental thereto in accordance with the procurement procedures set out in this Guidelines.

II. Selection of Procurement Procedure

The following procedures shall be applicable to the procurement of Listed Commodities under the Grant Aid :—

(1) Formal Open International Tendering

(2) Formal Selective International Tendering

(3) Informal International Competitive Procurement

(4) Direct Purchases.

(a) In the case of the procurement by the government and/or a government agency, Formal Open International tendering or Formal Selective International Tendering shall be applied.

(b) In case of non-government procurement, any of the procedures mentioned above may be applied.

(c) It is, however, possible under this Grant Aid to accept the procurement through Informal International Competitive Procurement or Direct Purchases in the following cases :—

(i) Where the amount of a proposed contract does not exceed ¥ 300,000,000.—, US $ 1,500,000.—or Pound Sterling 800,000.—in terms of currency of the contract

(ii) Where the number of qualified suppliers is limited.

(iii) Where purchase of a commodity by reference to a particular specification, trade name or designation is necessary in order to assure the inter-changeability or standalization of equipment or because of special design requirements.

(iv) Where either procedure (1) or procedure (2) by the reason other than the case (i), (ii) and (iii) above (e.g. in case of emergency procurement) is inapplicable.

(d) In any case mentioned above, Importer shall get a confirmation of the Borrower concerning the eligibility of procurement in accordance with the procurement procedure set forth in this Section 1-3.

III. Conditions of Contract

Any contract to be financed under this Grant Aid shall fulfill the following conditions.

1. Conditions of Commodities :

As the use of this Grant Aid is limited to financing expenditures for Listed Commodities produced in the eligible source countries, the subject items of the Contract shall be Listed Commodities produced in the eligible source countries and to be shipped to an Indian port from the eligible source countries. If the imported portion from non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) of the following formula, Listed Commodities will be financed even if the imported portion from non-eligible source countries is included as a part of the Listed Commodities in the items of the Contract Formula mentioned above :

$$\frac{\text{Imported Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

2. Conditions of Supplier :

The Supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered in the eligible source countries.

3. Conditions of Importer :

The procurement of any Commodities by the armed forces or their affiliated organizations of India shall not be eligible under the Loan.

4. Denomination of Currency :

The Contract shall be fixed and payable in Japanese Yen, United States Dollar, or Sterling Pound without any fraction less than one Yen (Y 1.00), One cent (c 1.00) or One Penny (d. 1.00) respectively.

5. Standard Form of Contract :

(a) The following items shall be inserted in the Contract to be financed under this Grant Aid :—

(1) Name and Nationality of Supplier and Importer

(2) Number and Date of the Contract

(3) Name and Origin of the Commodities

(4) Contract Price and Quantity

(5) Payment Terms

(6) Delivery and Shipment Schedule

(7) Other General Regulations

(b) The Contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian Importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies, are also acceptable.

(c) The following statement of eligibility by the Supplier shall be added to each contract :—

"I (We) hereby state that my (our) company has been registered in ———————— (eligible source country)."

6. Payment :

Each payment shall be made on and after the date of signing of the Grant Aid i.e. 17 March, 1979.

In principle, the full amount of a shipment shall be paid to the supplier on cash basis at each time of presentation of the relative shipping documents to the Bank of India, Tokyo.

IV. International Tendering :

When International Tendering is applied, the procurement shall be made in accordance with the following principles, among others.

1. Advertising :

On all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

2. Time Interval Between Invitation and Submission of Bids :

The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

3. Bid Opening Procedures :

The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

4. Bid Bonds or Guarantees :

In the case of bidding, bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement, but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.

Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened

5. Standards :

If national standards with which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned. will also be accepted.

6. Use of Brand Names :

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features.

In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

7. Guarantees and Performance Bonds :

Bidding documents may require some form of surety for guarantees, if necessary. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond.

8. Liquidated Damages :

Liquidated damages clauses, if necessary, should be included in bidding documents when delays in delivery will result in extra expenditures. loss of revenues or loss of other benefits to the Importer.

9. Force Majeure :

The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

10. Settlement of Disputes :

Provisions dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas Supplier.

11. Evaluation

ANNEXURE—VI

[Ref. Section V—Para V(ii)]

GUARANTEE BOND

To

The President of India

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Yens/US Dollars and £ Sterling for the import of ———— by ———— (hereinafter called the 'importer') against the import licence No. ———— dated ———— issued under the terms and conditions of Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion, we———— Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit, the amounts of disbursements made by the Bank of India, Tokyo converted at the prevailing composite rate of conversion laid down in CCI&E's Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-76 or as notified from time to time in Public Notices/A.D. Circulars within ten days of the receipt of advice of payments for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Accounts as indicated by the Government of India under the said Grant Aid together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment to the overseas supplier to and inclusive of the date of deposit of Rupee equivalent for credit to the Government account. The negotiable set of import documents received from the Bank of India, Tokyo, will be released to the Importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the————(Bank), also undertake to indemnity and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct, such sums not exceedings Rs. ————, or any part thereof, for the time being due and payable by the importer, together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned from the date of the payment to the overseas supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us———— ————(Bank), shall be final and binding on us———— (Bank).

3. We,———— (Bank), further agree that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of chance in the coposite rate of exchange mentioned in para 1 above, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change take place, in proportion to this change.

4. We, ————(Bank), further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract and that it shall continue to the enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee, have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the———— (Bank) and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time of the powers exerciseable by it against the importer and the ———— (Bank) shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matter aforesaid or by reasons of time being given to the importer or any other forebearance, act or omission on the part of the Government or any other matter or thing the Government to the importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the———— (Bank) from its such liability.

6. We———— (Bank), lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with provision consent of the Government in writing.

7. Our liability under this bond/guarantee is restricted to Rs. ———— (plus interest and all banking charges, not expected to exceed 1 per cent of the guarantee amount), and this guarantee shall remain in force till** the date of ——— (month) 19————. Unless claims under this bond/guarantee are made in writing within six months of this date and unless suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter, i.e. upto ———— all Government's rights under this bond/guarantee shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Date the ———— day of ———— 19

for ———— (Bank)

Accepted for and on behalf of the

President of India by Shri ————

(Name and Designation)

Signature Signature

**This date shall be arrived at by adding one month to the date up to which the Letter of Credit is required to be kept valid.

Note : The value of the stamped paper on which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act.

ANNEXURE—VII

[Section VII-Para VII (v)]

Form of Application for release of Bank Guarantee

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,

Ministry of Finance,

Department of Economic Affairs,

UCO Bank Building, Ist Floor,

Parliament Street, New Delhi-1.

Sir,

We are furnishing below detailed information on the rupee deposits made by us in the discharge of our obligations under Bank Guarantee No.———— dated ————for an amount of Rs. ———— with the request that the same may be released and returned to us.

1 The name and full address of the importer/licencee on whose behalf the Bank Guarantee was furnished.

2. The import licence No., date, value, brief description of the equipment and/or commodities allowed for import thereunder.

3. Particulars of the authorisation (s) obatined from the Ministry of Finance (to be given separately for each authorisation).

(a) Letter No and date.

(b) Amount of Authorisation.

(c) Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion.

4. Particulars of imports and rupee deposits made (to be given separately for each Authorisation).

(a) Amount of Invo. (net) in Yen /US $/£.

(b) Amount of Rupee deposit.

(c) Relative challan No. and date and the name of Treasury/Bank.

(d) If by demand draft, No. and date of the demand draft No. and date of the Letter with which the draft was sent to the State Bank of India, Delhi.

5. Amount utilised and balance utilised (Yen/US $/£) in each Authorisation.

II. We certify that :—

(1) *The balance amount of Yen ———— available in the authorisation(s) given by the Ministry of Finance has not been utilised/will not be utilised.

*Whichever is applicable.

(2) Our obligation under the Bank Guarantee in question have been fully discharged.

III. We confirm that the interest and banking charges of the Bank of India, Tokyo and charges, if any, of overseas suppliers Bankers relative to this transaction have been remitted by us to the Bank of India, Tokyo.

IV. We request that the bank guarantee may please be released and returned to us for cancellation.

Yours faithfully,
Authorised Agent for and on behalf of the Bank.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979